the Labour Minister to make a statement, because two lakhs workers are on strike and the entire economy of Bengal is affected by this.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I support Shri Banerjee. I have also given notice of a Calling Attention. The matter is very important. So, it should be answered by the Labour Minister and not by Shri B. R. Bhagat.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Sir, I would suggest that the names of those hon. Members who have given notice of the Calling Attention should be included in the Short Notice Question because the subject is the same. Instead of the Calling Attention, you have been pleased to admit it as a Short Notice Question.

MR. SPEAKER: I quite agree with you.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : काल अटेंशन मंजूर करना चाहिए था ताकि सब लोगों को मौका मिलता । ऐसा मालूम होता है कि किसी सदस्य ने मंत्री से बात की और आपस में बात करके तय कर लिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जब खड़ा हूँ तो आप मत खड़े होइये । As suggested here, I will ask the Labour Minister to reply to the questions. Then, the names of those four Members would be included.

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL—*contd.*

Clause 2— *contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Lokpal and Lokayuktas Bill. Almost the whole of the time allotted for this Bill has been exhausted and only twenty minutes are left. We are still on clause 2. As far as possible, the time allotted by the Business Advisory Committee must be adhered to.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिये हैं उसमें कुछ ओरिजिनल टाइप के हैं। जैसे मने कहा ह कि on page 2, line 7 after "improper or" insert "discriminatory or". कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में हम लोग दुनिया भर के फिरकों में बंटे हुए हैं, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और प्रोविन्सेज में बटे हुए हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में बल्क आफ दी पीपुल बैकवर्ड हैं और चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हों, उसमें वे लोग नहीं हैं । इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्टिज्म होता है, इसलिए बिल में यह स्पेसिफिकली प्रोवीजन होना चाहिए कि जाति-पाति के नाम पर जो पक्षपात होता है उसको भी लोकपाल और लोकायुक्त देखें ।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बिल में शामिल करना चाहिये और प्रेसीडेंट को अधिकार होना चाहिये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज ला सकें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी को एक केटेगरी में रखा गया है और यह व्यवस्था की गयी है कि सेक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई चार्ज लाया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर लायेगा । मैं संशोधन करना चाहता हूं मिनिस्टर के खिलाफ जो कोई चार्ज हो तो प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं । और सेक्रेटरी के खिलाफ़ कोई चार्ज हो तो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी और मिनिस्टर को एक केटेगरी में रखना ठीक नहीं है । हमको भी प्रदेश में मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहने का मौका मिला है इसलिए में जानता हूँ कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी को एक ग्रेड में रखना अच्छा नहीं है । इसलिए बिल में जहां तक सेक्रेटरी का सवाल है उसमें कर दिया

[श्री बि० प्र० मंडल]

जाए कि उसकी कम्प्लेन्ट करने वाला मिनिस्टर आफ दी डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा । और जहां तक मिनिस्टर का सवाल है उसके खिलाफ चार्ज लगाने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को होगा ।

बिल में काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स आया है, लेकिन सदन में बहस के दौरान कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर बिल नाट बी इनक्लूडेड । क्या काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स को कोई स्पेशल डैफीनीशन बनाना चाहते हैं ? वाकई में काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स इनक्लूड्स दी प्राइम मिनिस्टर । जब भी कभी अविश्वास का प्रस्ताव सदन में आता है तो वह काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स के खिलाफ आता है, न कि प्राइम मिनिस्टर के । प्रधान मंत्री काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स का प्रथम व्यक्ति होता है, यही परिभाषा सभी जगह मान्य है । तो जब बिल में काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स शब्द है और उसके खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त को अधिकार होगा तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहना कहां तक उचित है कि प्रधान मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा । यह कहां तक सही है ? इसलिए प्राइम मिनिस्टर को भी काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स के बाद इनसर्ट करना चाहिए—इनक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर । और अन्त में जहां मिनिस्टर शब्द है वहां मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को इन्सर्ट करना चाहता हूं ।

मेरा लास्ट अमेंडमेंट यह है कि

अध्यक्ष महोदय : आप बोल लीजिए, अलग-अलग संशोधन मूव करने की जरूरत नहीं है । अमेंडमेंट आप के मूव्ड समझे जायेंगे ।

श्री बि० प्र० मंडल : मेरा यह कहना है कि मैं इससे कभी भी सहमत नहीं हूं कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर आफ दी अपोजीशन की राय से लोकपाल का अपोइंटमेंट हो । लोकपाल को पोलिटिकल इनफ्लूयेंस से फ्री रखना चाहिये । प्राइम मिनिस्टर भी किसी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं और लीडर आफ़ दी अपोजीशन भी किसी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं । इसलिए मेरा कहना है कि एक पैनल होना चाहिये नाम का, जिसमें एक नाम चीफ़ जस्टिस आफ़ इंडिया की तरफ से होना चाहिये, एक नाम कम्पट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल का होना चाहिए और एक नाम स्पीकर आफ़ दी लोक सभा का होना चाहिये, और तीन नामों के पैनल में से प्रेसीडेंट एक आदमी को लोकपाल अपोइंट कर ले । यही मुझे कहना है ।

MR. SPEAKER: I will put the amendments now to the vote of the House. Should I put them together?

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): Sir, I have an amendment to clause 2.

MR. SPEAKER: Now there is no use. Only a few minutes are left. Now I am going to rush through the Bill.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Sir, it would not be fair to conduct the debate in a manner that certain important clauses will remain undebated in the House at all at this stage. Adequate time should be allowed on certain important clauses.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: Sir, I may be given one minute to move my amendment.

MR. SPEAKER: Better not move it because it is going to meet the general fate.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): We want to press amendment No. 91.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Include 95 also.

MR. SPEAKER: I am putting amendment No. 91 to the vote of the House. The question is:

Page 2,—

after line 12, *insert*—

"(i) in the case of the Prime Minister — President of India

(ii) in the case of members of Lok Sabha — Speaker of Lok Sabha

(iii) in the case of Members of Rajya Sabha — Chairman of the Rajya Sabha" (91)

The Lok Sabha divided:

Division No. 19] [12.45 hrs.

AYES

Ahmed, Shri J.
Amin, Shri R. K.
Banerjee, Shri S. M.
Bharati, Shri Maharaj Singh
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Daschowdhury, Shri S. K.
Deb, Shri D. N.
Dwivedy, Shri Surendranath
Gowda, Shri M. H.
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri S. M.
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Kothari, Shri S. S.
Kundu, Shri S.
Kushwah, Shri Yaswant Singh
Limaye, Shri Madhu
Mandal, Shri B. P.
Mangalathumadam, Shri
Misra, Shri Janshwar
Misra, Shri Srinibas
Mohammed Imam, Shri J.
Molahu Prasad, Shri
Patel, Shri J. H.
Ram Charan, Shri
Samanta, Shri S. C.
Shah, Shri T. P.
Sharma, Shri Beni Shanker
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Shiv Kumar
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Viswambharan, Shri P.

NOES

Achal Singh, Shri
Aga, Shri Ahmad
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed, Shri F. A.
Awadesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Bhagat, Shri B. R.
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Bramhanandji, Shri Swami
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Chavan, Shri Y. B.
Chaudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Dinesh Singh, Shri
Ering, Shri D.
Gandhi, Shrimati Indira
Ghosh, Shri Parimal
Girja Kumari, Shrimati
Hanumanthaiya, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Jamna Lal, Shri
Kamble, Shri
Karan Singh, Dr.
Kavade, Shri B. R.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Krishna, Shri M. R.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Malhotra, Shri Inder J.
Mane, Shri Shankarrao
Melkote, Dr.

Menon, Shri Govinda
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mohsin, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Murti, Shri M. S.
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Pande, Shri Vishwa Nath
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Poonacha, Shri C. M.
Raghu Ramaiah, Shri
Raju, Dr. D. S.
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Sewak, Shri Chowdhary
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Salve, Shri N. K. P.
Sanghi, Shri N. K.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sapre, Shrimati Tara
Savitri Shyam, Shrimati
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Shambhu Nath, Shri
Shastri, Shri Sheopujan
Sheth, Shri T. M.
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shri R. K.
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Surendra Pal Singh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 33; Noes: 120

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: I shall now put all the other amendments together to the vote of the House.

The other amendments were put and negatived.*

MR. SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(Appointment of Lokpal and Lokayuktas.)

SHRI OM PRAKASH TYAGI: मुरादाबाद

I beg to move:

Page 4, lines 25 and 26,—

for "or recommendation" *substitute*—

"recommendation or investigation" (47).

SHRI P. VISWAMBHARAN (Trivandrum): I beg to move:

Page 4, line 6,—

for "after consultation with" *substitute*—"on the advice of" (96).

---

*The following Members also recorded their votes:—

AYES: Sarvashri Om Prakash Tyagi and Ram Gopal Shalwale;

NOES: Shri Ganga Reddy.

*Other amendments negatived: Nos 6,to 8, 18, 19, 21, 23, 28, 31, 38, 42, 45 46, 49 to 51, 62 to 65, 86 to 88, 95, 100, 101, 103 to 106, 113 to 115, 118, 119, 138, 143, 145 and 146.

Page 4, line 7,—

"after "and" *insert*—after consultation with" (97).

SHRI B. P. MANDAL: I beg to move:—

Page 4,—

for lines 6 to 10, *substitute*—

"(a) the Lokpal shall be appointed from among the panel of three names in the following order:—

(1) one name to be given by the Chief Justice of India.

(2) one name to be given by the Speaker of Lok Sabha,

(3) one name to be given by the Comptroller and Auditor General of India." (122).

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I beg to move:

Page 4,—

after line 12, *insert*—

"Provided that no person who is or had been a Minister either in the Central Government or State Government or who is holding or had held an office of the Secretary or any other Government post shall be appointed as a Lokpal or Lokayukta." (140).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 4,—

after line 12, *insert*—

"Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpal or a Lokayukta." (176).

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्लाज नम्बर 3 जो कि लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में है उसमें बतलाया गया है कि प्रेसीडेंट उनकी नियुक्ति किन किन लोगों से सलाह करके करेंगे ।

मैंने अपने इस अमेंडमेंट के द्वारा यह चाहा कि इस विधेयक के क्लाज नम्बर 3 में पेज 4 पर लाइन 25 और 26 में फौर "और रैकमेंडेशन सब्सटीच्यूट" रैकमेंडेशन और इनवेस्टिगेशन" । मैंने यह संशोधन इसलिए चाहा है कि यह लोकपाल तथा लोकायुक्त जोकि विभिन्न अधिकारियों, संस्थानों और राज्य व केन्द्र के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जोकि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की जांच पड़ताल करेंगे उनका इम्पार्शियल होना तटस्थ होना परमावश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तटस्थता में यदि आजकल कोई सबसे बड़ी बाधक चीज है तो यह राजनैतिक विचारधारा के लोग हैं, पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जोकि साम्प्रदायिकता के आधार पर, कास्ट, क्रीड और रैलीजन इन सबको अपने सामने रखकर चलते हैं । आजकल एक नई प्रकार की साम्यप्रदायिकता दिखाई दे रही है और वह है राजनीति । अब किसी भी राजनैतिक पार्टी से यदि कोई आदमी सम्बन्ध रखता है तो वह अन्य राजनैतिक पार्टी की अच्छी या बुरी किसी भी बात को वह मानने को तैयार नहीं होता और उसकी आलोचना तथा बुराई करने के लिए हमेशा वह तैयार रहता है ।

इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भाग नहीं लेगा । गवर्नमेंट सर्वेंट के किसी भी पोलिटिकल पार्टी में भाग लेने पे रोकने का उद्देश्य यह है कि जितना भी सरकार का कार्य हो वह निष्पक्ष हो और न्यायपूर्वक हो अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी पोलिटिकल पार्टी से बन्ध जायेगा तो वह उसके साथ रियायत जरूर

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

करेगा । अगर लोकपाल या लोकायुक्त किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐक्टिव मेम्बर रह चुका है या है तो उसको इन पदों पर नहीं रखा जाना चाहिये ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत): माननीय सदस्य किस क्लाज पर बोल रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्लाज 3 पर । यह 3 (ए) में आता है उसमें लिखा है कि :

"the Lokpal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition in the House of the People.."

उस में मैंने यह जोड़ा है कि :

"Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpal or a Lokayukta."

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : यह क्लाज 4 पर आयेगा । इसमें यह इरेलेवेंट है । उस में मैंने भी अमेंडमेंट दिया हुआ है ।

MR. SPEAKER: I will now put all the amendments to clause 3 to the vote of the House.

Amendments Nos. 47, 96, 97, 122, 140 *and* 176 *were put and negatived.*

MR. SPEAKER: Now, the question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4— (*Lokpal or Lokayuktas to hold no other office*).

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): I beg to move:

Page 4,—
omit lines 34 *and* 35 (66)
Page 4,—
omit lines 38 and 39 (67).

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : "लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक" की धारा 4 (ग) में वर्तमान के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय .

"वह कभी किसी राजनैतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता न रहा हो ।'

SHRI LOBO PRABHU: My good friend, Mr. Tyagi, has already supported my amendment that it is not proper for any one associated with a political party—and I would add, any one who is a Member of Parliament to be eligible to be Lokpal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): These amendments have been rejected and clause 3 has been adopted by the House.

SHRI LOBO PRABHU: My amendments are to clause 4. I want lines 34 and 35 and 38 and 39 should be deleted because there should be an absolute bar on anyone who is associated with a political Party or any one who is a Member of Parliament. We have heard of defeated Members of Parliament appointed to different posts. It is something more than that that an acting Member should be appointed to this post. A Member of Parliament has a duty. He has been elected for a specific purpose. I press both my amendments for the deletion of these two sub-clauses allowing exemption to a member of a political party and to a Member of Parliament.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं कहना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर किसी पोलिटिकल पार्टी का ऐक्टिव मेम्बर है या रह चुका है तो उससे किसी भी जांच के न्यायपूर्वक होने की आशा नहीं की जा सकती । मेरी तो ऐसी ही मान्यता है । सरकार ने इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अपने सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पोलिटिकल पार्टी से

सम्बन्ध नहीं रखेगा । यही नहीं कि वह पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर नहीं रहेगा बल्कि वह नडाईरेक्टली भी किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखेगा । ऐसी स्थिति में जो लोकपाल आप नियुक्ति करने जा रहे हैं यदि वह ऐसा आदमी होगा जो पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर रहा हो या किसी सरकारी कमिशन में रहा हो, सरकारी उद्योगों में रहा हो, तो वह अपनी पार्टी के आधार पर एटमास्फिअर क्रिएट करेगा । मैं इन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रांची के हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में श्री मालवीय नियुक्ति हुए । वहां जाते ही उन्होंने इन्टक का जोर शुरु किया और वहां की लेबर में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी ।

सलिए अगर कोई भी आदमी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित रह चुका है, तो उसको लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर नियुक्त करना खतरे से खाली नहीं है। मैं इस अमेंडमेंट को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय स पर गम्भीरता से विचार करेंगे अगर वह इस विधेयक की सफलता चाहते हैं ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैंने अपना संशोधन इसलिए रखा है कि आज जब कभी हम देश में निष्पक्ष व्यक्ति ढूंढने लगते हैं तो आम तौर पर एक शर्त यह रखी जाती है कि वह व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं होना चाहिये, किसी सम्प्रदाय विशेष में विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए । लेकिन हमारे राजनीतिक जीवन में इतनी खींचातानी हो गई है कि जितनी दलीय भावना सम्प्रदायों में है उससे कम राजनीतिक दलों में आपस में नहीं है । आप जिसको लोकपाल नियुक्त करेंगे वह कम से कम 55 या 60 वर्ष की आयु का तो होगा । जो आदमी 55 या 60 वर्ष तक किसी दल के साथ रहा है, दल के साथ उसका लगाव रहा है, दल के लोगों के साथ उसकी मित्रता रही है, उसके अन्दर उनके प्रति सद्भावना है और दूसरे दलों के प्रति उसके हृदय में दूसरी प्रकार के भाव हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा, तो उसका झुकाव अपने दल की ओर होगा । कोई भी छोटी या बड़ी इश्यू हो, छोटी या बड़ी नियुक्ति हो, जिस दल के हाथ में नियुक्ति करने का अधिकार होता है वह सोचता है कि उससे सरकारी दल का लाभ होने वाला है या नहीं । जो भी लोक पाल को नियुक्त करेगा वह यह देखकर नियुक्ति करेगा कि इससे सरकारी दल को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। इससे लोकपाल और लोकायुक्त की निष्पक्षता पर आंच आयेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लोकपाल नियुक्ति कर रहे हैं तो लोकपाल की नियुक्ति कराइये दलपाल की नियुक्ति न कराइये । अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह सारी नष्ट हो जाऐगी ।

मेरा अनुरोध यह है कि इस में आप यह अवश्य रखें कि वही व्यक्ति लोकपाल नियुक्त किया जाये जिसका कभी किसी दल के साथ कोई सम्बन्ध न रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि इस पद पर निष्पक्ष व्यक्ति रखा जाये। जिस प्रकार आप असाम्प्रदायिक व्यक्ति कहते है उसी प्रकार यहां यह होना चाहिये कि जो भी नियुक्ति आप करें वह पोलिटिकल नियुक्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उनसे मैं पूर्ण सहमत हूं । सवाल यह है कि इस में किस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये जिस से यह भावनायें पूरी हो सकें इस के लिए हम लोगों ने प्रावधान में कहा हैं कि जिस व्यक्ति को इस में रखना हो उस को केवल प्रधान मंत्री की तरफ से न रखा जाय बल्कि जो हमारे विरोधी दल के नेता

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

हैं, और यदि एक नेता न हो तो समस्त विरोधी दल के लोग एक व्यक्ति को छांट लें, उससे परामर्श करके रखा जाये। इसके साथ साथ हमा चीफ जस्टिस से भी पूछा जाए और उसे पूछने के बाद लोकपाल को नियुक्त किया जाय। इस का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति लिया जायेगा जिस के बारे में लगभग सर्वसम्मति हो।

13.03 hrs.

यदि हम किसी तरह का उस में बन्धन लगाना चाहें कि वह राजनीतिक दल से सम्बन्ध न हो, पर राजनीतिक व्यक्ति रहा हो और उसको चाहे सभी लोग पसन्द करते हों, चीफ जस्टिस भी पसन्द करें, विरोधी दल के नेता भी पसन्द करें, राजनीतिक दल जो केन्द्र में है और प्रान्त में है, वह भी पसन्द करें, तो चूंकि वह दो तीन साल या दस बीस साल तक किसी राजनीतिक दल में रह चुका है लेकिन हर तरह से योग्य है और उसको इस वास्ते अयोग्य ठहरा दिया जाए कि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहा है, तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा। इस तरह का कोई भी संशोधन स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

SHRI LOBO PRABHU: What about 'Member of Parliament'? The hon. Minister has not replied to my question. He has not replied to my objection that a Member of Parliament should not be eligible for appointment as Lokpal.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have provided that if a Member of Parliament is appointed, he will vacate his seat.

SHRI LOBO PRABHU: He is bound to do that.

SHRI S M BANERJEE (Kanpur): Why should he object? We are going to recommend his name;

MR. SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 66, 67, and 195 to vote.

Amendments Nos. 66, 69 and 195 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That cause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. SPEAKER: We shall take up clause 5 after lunch.

13.03 *hrs.*

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI M. B. RANA *in the Chair.*]

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL —*contd.*

Clause 5.—(Term of office and other conditions of service of Lokpal and Lokayukta).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 5 lines 35, and 36,—*after* "Government" *insert* 'or private' (41).

Page 5, line 36, add at the end—"or companies or societies owned or controlled by big business houses (148).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 5, line 36,—*add* at the end—"or in companies or societies owned by big business houses". (178).

MR. CHAIRMAN: We have exhausted the time allotted.

I shall put to vote amendments Nos. 41, 148 and 178.

Amendments Nos. 41, 148 and 178 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6— (*Removal of Lokpal or Lokayukta*).

MR. CHAIRMAN: There are amendments, 15, 48, 180, 181 and 182.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

Page 6, line 33,—for "by each House of Parliament", *substitute* "by the House of People" (15).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 6, lines 22 and 23,—

for "on no other ground" *substitute* "malpractice" (48).

Page 6, line 22,—

after "misbehaviour" *insert*. "misconduct" (181).

Page 6, lines 22 and 23,—

omit and on no other ground." (182).

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, क्लाज 6(3) में लोकपाल और लोकायुक्त को उन के पद से हटाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय का एड्रेस दिये जाने पर उन्हें हटाया जा सकेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्लाज 3 में यह व्यवस्था की गई है कि इस विषय में लोक सभा मे आपोजीशन के नेता के साथ परामर्श किया जायेगा । उस क्लाज मे राज्य सभा का कोई उल्लेख नहीं है । मेरा कहना यह है कि जब लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल लोक सभा का जिक्र किया गया है, तो फिर उन्हें बर्खास्त करने के मामले में राज्य सभा को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है । जब लोक सभा उन्हें बहाल करती है, तो उसी को यह पावर होनी चाहिए कि वह उन्हें हटा सके । अपने संशोधन संख्या 15 द्वारा मैं यह चाहता हूं कि संसद् के दोनों सदनों के बजाये केवल लोक सभा द्वारा बहुमत से भेजे गये एड्रेस के आधार पर लोकपाल या लोकायुक्त को हटाया जा सके।

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): I move my amendment No. 180:

Page 6,—

for lines 22 and 23, *substitute*—

"President on the ground of misbehaviour and incapacity, and that he has allowed himself to be influenced by any Minister in taking decisions with regard to any matter under investigation by him, and on no other ground." (180).

The basic point is that if the Lokpal allows himself to be influenced by a Minister, that should be a ground for his removal. It should not be necessary to have a two-thirds majority for his removal; a simple majority should be good enough. Instead of both the Houses concurring in it, if either of the Houses decides that the Lokpal should be removed by a simple majority, he should be removable.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा थोड़ा शंका समाधान के लिए । इस क्लाज 6 में आप ने कहा है :

"Subject to the provisions of article 311 of the Constitution, the Lokpal or a Lokayukta may be removed from his office by the President on the ground of misbehaviour or incapacity and on no other ground.".

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

मैं पूछना चाहता हूं कि मिसविहेवियर, इनकैपेसिटी यह तो ठीक है लेकिन अगर करप्ट है वह तो ? आप यह कहते हैं कि नो अदर ग्राउन्ड, यह जो पीछे जोड़ देते हैं, यह गलत है । कोई दूसरी भी शिकायत हो सकती है, दूसरे ग्राउन्ड भी हो सकते हैं । आप ने सिर्फ दो चीजों को ले लिया है मिसविहेवियर और इनकैपेसिटी लेकिन अगर वह करप्ट हैं या इस प्रकार की भाईबन्दी की बात उसने की है, दुनिया भर की बातें हैं, अनेक बातें हो सकती हैं, तो वैसी हालत में न तो और ग्राउन्ड किसी के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा । इस प्रकार के लोकपाल और लोकायुक्त को इतना एबव आप रख देंगे कि जिस से कोई उस को हटा न सके तो कल आप के लिए मुश्किल हो जायगी । इसलिए नो अदर ग्राउन्ड को आप हटा दीजिए ।

SHRI S. M. BANERJEE: I just want to say a word....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member does not have any amendment.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to support his amendment.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has understood the point. Now, let him reply.

SHRI S. M. BANERJEE: I am in your hands.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If hon. Members would carefully see the clause they will see that misbehaviour on the part of the Lokpal would embrace all these questions that hon. Members have in mind. For instance, getting influenced by anybody including a Minister or being corrupt tantamounts to misbehaviour. As a matter of fact, we have used the language of article 124(4) of the Constitution, and since we are equating the Lokpal with the judges of the Supreme Court, whatever grounds have been mentioned for the removal of Supreme Court judges have been mentioned for the removal of the Lokpal also. I would, therefore, request hon. Members not to press their amendmens as far as this particular matter is concerned.

Shri Shiva Chandra Jha wants that only the lower House should have the authority to proceed against the Lokpal. Here, again, I would invite his attention to the Constitution where removal of the Supreme Court judge requires an address to be presented by both Houses of Parliament and not only the lower House. In this case also, we have kept the provision that both Houses of Parliament should be consulted, so that both Houses are kept in the picture whenever the necessity for removing the Lokpal might arise.

SHRI S. S. KOTHARI: It should be by a simple majority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Therefore, I would not be in a position to accept any of these amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 6 to vote.

Amendments Nos. 15, 48 & 180 to 182 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

clause 7— (*Matters which may be investigated by Lokpal or Lokayukta.*)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

Page 6, line 40, *after* 'Minister' *insert*—'including the Prime Minister'. (24)

SHRI P. VISWAMBHARAM: I beg to move:

Page 6, line 40, *add* at the end 'A Member of Parliament'. (98).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 7, *after* line 28, *insert*:

"(5) Subject to the provisions of this Act, the Lokpal may investigate in the manner to be prescribed under the rules the assets held by Ministers and Secretaries to find out if the assets so held are disproportionate to the lawful income of Ministers and Secretaries". (149).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 6, *after* line 39, *insert* "(i) the Prime Minister or the Deputy Prime Minister". (183)

SHRI S. S. KOTHARI: I beg to move:

Page 7, *after* line 28, *insert*—

"(5). The Lokpal may investigate the assets held by Ministers and Secretaries to ascertain if the assets so held are disproportionate to the lawful income of the Ministers or Secretaries.". (188).

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट कहना है, मेरा जो संशोधन है उसकी 28वीं लाइन के बाद एक नया पैरा हम जोड़ना चाहते हैं जिस का आशय यही है कि जो मिनिस्टर या सेक्रेटरी होते हैं उस समय जो उन की सम्पत्ति का ब्यौरा होता है और आगे चल कर बहुत से लोग बहुत सा धन अर्जित कर लेते हैं तो मैं बहुत ज्यादा का फर्क हों तो इस संशोधन के मुताबिक लोकपाल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उस में दखल दे, उस की जांच करे और अपनी सम्मति दे, इसलिए इस को मैं इस में जोड़ना चाहता हूं। आप जानते हैं हमारे बिहार में कुछ पुराने पत्रियों पर मुकदमें भी चल रहे हैं कि पहले उन की कितनी सम्पति थी और बाद को उन्होंने कितनी सम्पत्ति अर्जित कर ली। यह बात सब जगह खुली हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई हिचक मन्त्री महोदय को नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपर यह बात साफ हो जाय कि बहुत फर्क है उन की मूल सम्पत्ति और मिनिस्टर और सेक्रेटरी होने के बाद जो उन की सम्पत्ति हुई दोनों में तो उस की जांच करने का अधिकार लोकपाल को होना चाहिए जिससे जो गलत तरीके से धन अर्जित किया जा रहा है उस को रोका जाय और साथ ही साथ उन के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस में कोई एसा बात नहीं है जिसे मंत्री महोदय स्वीकार न करें।

SHRI S. S. KOTHARI: When corruption is rampant, it is not possible generally to catch the offenders red-handed. But assets are something which could be ascertained with definiteness. If it is found that the assets of a secretary or a Minister are disproportionate to his income, he can easily be apprehended and it should be within the ambit of the Lokpal's powers to investigate into the matter, and wherever there is any suspicion he should go into the details and he can also take the assistance of experts and others. If the assets are found to be disproportionate, he can make a recommendation that necessary action should be taken. He can call upon the person concerned to explain how he acquired those assets, and if he cannot explain them satisfactorily, action can be taken. Actually, it is a lacuna which would be removed and I think the hon. Minister should accept this amendment.

SHRI P. VISWAMBHARAM: Clause 7(1) says:

Subject to the provisions of this Act the Lokpal may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of—

(i) a Minister or a Secretary; or.

My amendment seeks to include 'Member of Parliament' also in this clause. It is not fair on our part to exclude Members of Parliament from

[Shri P. Viswambharam]

the purview of this Bill. If we ourselves do not submit to be scrutiny of the Lokpal, then we have no moral right to pass this Bill. Therefore, I have moved this amendment. Since this is going to be a model legislation for the States also, we should set up an example to the States. Therefore, I would urge the hon. Minister to accept my amendment.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would invite the attention of hon. Members, particularly Shri Ramavatar Shastri and Shri S. S. Kothari to clause 2 (b) which gives the definition of the term 'allegation'. If the Bill did not contain any provision to cover the contingency that the hon. Members have in mind, I would have had no hestitation to accept the amendment, but according to this definition of allegation, such matters are completely covered under this Bill. The Lokpal can definitely look into the disproportionate assets of secretaries and Ministers under this particular power that has been given. Further, under his own *suo motu* powers which have been given to him under clause 11 (1) and clause 11 (2), he can call for the statement. If such statements are not available on record or anywhere else, from the secretaries and Ministers and look into those things and also go into the matter. So, all these matters which the hon. Members have in their mind are already covered under the existing provisions, and therefore, it will not be necessary to accept any of the amendments. (*Interruption*). I said I would have been happy to accept it if it was not there. It is already there and we should not make such an important pice of legislation cumbersome and repetitive. Therefore, I hope the hon. Members will not press the amendment because it is already there. It already finds a place there.

Regarding Members of Parliament, this matter was very deeply considered. You, Sir, were the Chairman of the Joint Committee, and we considered this matter quite deeply in the Joint Committee, and it was ultimately found that it would not be proper and it will not fit in the scheme of things if Members of Parliament were to be included in the purview of Lokpal and Lokayukta. Therefore, we took a decision not to include Members of Parliament in the purview of Lokpal. Therefore, I am unable to accept that amendment also.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 7 to the vote.

Amendments Nos. 24, 98 149, 183 & 185 *were put and negatived*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—(*Matters not subject to investigation.*)

SHRI LOBO PRABHU: I move:

Page 8, *omit lines* 8 *to* 10. (75)

SHRI N. K. P. SALVE: I move:

Page 7, *for lines* 36 *to* 40, *substitute*

"Provided that a remedy before the High Court or the Supreme Court to issue directions, orders or writs under article 226 or article 139 respectively of the Constitution in respect of any grievance will not be deemed to be a remedy within the meaning of item (b) of sub-section (1):

Provided further that the Lokpal or Lokayukta may conduct an investigation notwithstanding that the complaint had or has such a remedy if the Lokpal or as the case may be the Lokayukta is satisfied that such person could not or cannot for sufficient cause have recourse to such remedy:

Provided further that in case the Tribunal or the court of law, as the case may be, before whom remedy against an action is sought makes an Order in favour

of the complainant and the tribunal or the court of law, as the case may be, making such order in favour of the complaint is not competent to proceed against, the public servant on whose action they have made such order, a complaint against such action, shall, notwithstanding caluse (b) of sub-section (1), be entertained by the Lokpal or Lokayukta if the same, *prima facie*, indicates either *mala fide*, corrupt, perverse grossly negligent act on the part of a public servant involving gross abuse of his powers and authority." (89).

MR. CHAIRMAN: Shri Lobo Prabhu. Just one minute. We have already exceeded the time.

SHRI LOBO PRABHU: This is rather an important amendment. I would not take one extra minute. Now in this amendment, I have said that the provision which exempts from the jurisdiction of Lokpal mentioned in clause (k), sub-clause (iv) should be deleted.

I would like to refer the Minister to clause (k), sub-clause (iv) of clause 2. This clause includes an officer employed in any local authority, in any corporation, any Government company, any society. (*Interruption*). The measure of corruption is as high in these corporation and local bodies. I would like to know why, when you are concerned with corruption, you are exempting an area which is so heavy, so rich, with corruption.

I will ask the Minister another question. If it was not the intention to include these classes under the jurisdiction of the Lokpal, what is the purpose of this clause (k), sub-clause (iv)? There was no necessity at all to designate these officers: either you completely delete this class of officials or place them under the jurisdiction of the Lokpal.

I need not say the Minister must be very tired already of rejecting the amendments, but I am not tired of pressing my amendments. Amendments are a legitimate part of the process of legislation. Is the Minister thinks that no amendments should be accepted, I would like him sometimes to wonder why he has not objected to the very structure of our procedure here, because, to turn down every amendment from every Member does not do credit to this House. I may add that legislation is a most important part of the work of this House. If you do not take the co-operation of the Opposition, if you think what has been put to you by your officers is the last word, you are making a very fatal mistake in respect of the functions of this House.

SHRI N. K. P. SALVE: The amendment which I have moved seeks to provide two provisos n addition to the one which is already there in the Bill. The entire purpose of the two provisos is to delete the unintended effect which might come as a result of drafting. It is stated in the Bill that no complaint can be made of a grievance if the complainant has any remedy by way of proceedings in a court of law. My first proviso seeks to make it clear that even if there is a remedy open to the complainant by way of a writ petition in a High Court, it should be open to the person to go to the Lokpal or Lokayukta instead of a writ petition because of the difficulties involved in filing a writ. The subject-matter in many cases would be almost the same. Yet, if a remedy is available to a person by way of a writ petition, he should not be compelled to go to the High Court by way of a writ, even though that right is available to him: it should be open to him to go to the Lokpal or Lokayukta instead of a court.

SHRI SRINIBAS MISRA: Nobody can compel him to go to the court.

SHRI N. K. P. SALVE: Suppose a remedy by way of a writ is available. They may not entertain the grievance or complaint on the ground that a remedy is available. It is likely to happen. At least, that is my view of the matter.

[Shri N. K. P. Salve]

Secondly, we have left judiciary entirely out of the purview of this Bill. Now we are likely to leave out a very important section of the executive; I am worried about the Income-Tax Department, Sales Tax Department, Customs and Excise. In regard to income-tax there is remedy provided in the tribunal and in the High Court; High Court is the last court, so far as questions of law are concerned and the tribunal is the last one, so far as question of facts are concerned. It is more than likely that several questions will arise in respect of which one cannot go to the tribunal or the High Court and there is no remedy available before an aggrieved party. Now we have defined "grievance" as undue hardship and injustice. The very same definition comes also under "allegation"—undue harm or undue hardship to any person concerned. If there is any undue harm or undue hardship to any party, he will still not be able to go to the Lokpal and the income-tax officer will go on merrily doing whatever he wants. We are collecting Rs. 2,200 crores by way of direct and indirect taxes. So, it is absolutely imperative that the Lokpal and the Lokayukta must have jurisdiction over those people who are collecting these direct and indirect taxes. If, for any reason, the Home Minister considers that officers of income-tax, sales-tax, customs and excise are already covered by clause 8 (1), I would request him to consider one point. We have been having ho many litigations on account of improper drafting because the intentions of the legislature are not brought out to the statute book in a proper and apt manner. Therefore, in order to avoid any such unnecessary litigation, if what I am saying is already there in the statute book, and if it is not there, to rope in all those people who are responsible for collecting direct and indirect taxes, these two provisions must also be added.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The amendment moved by Shri Salve has been very carefully considered by us. We wanted to find out whether we can improve upon this scheme. But, as far as his fears are concerned, we found that they are already covered by the provisions of this Bill. As he himself was stated, whereas grievances are concerned, there are remedies otherwise available by a writ petition or by going to a tribunal. The applicant can go and agitate the matter before them. But, as far as the allegations are concerned, they come under the purview of this Bill. So, if there is any allegation that an assessee wants to make in regard to any tax matter against the Income-tax Officer or the Assistant Commssioner of Income-tax or the sales-tax Officer, he can still go to the Lokayukta; there is no bar. If he has a grievance of over-assessment, or wrong assessment against the Income-tax Officer, he can certainly appeal to the superior authority from the Income-tax Officer he can go to the Assistant Commissioner from the Commissioner of Income-tax to the Tribunal. He can also go by a writ petition to the High Court.

Therefore, I do not think it would be possible for us to include all those things and widen the area of the Lokpal and the Lokayukta in such a manner that it becomes completely impossible to work. Therefore, wherever there is a remedy available aganist grievances, we have not included it here but as far as allegations are concerned, all allegations are included in this and anybody who has any allegation against any member who is working for the Union Government can come up to the Lokpal and agitate the matter before the Lokpal or the Lokayukta as the case may be.

Shri Lobo Prabhu should not get disheartened if his amendments are not found acceptable by us. It is not that we do not want to accept any amendments. Shri Lobo Prabhu should know that in the Joint Committee dozens and dozens of amend-

ments moved by hon. Members belonging to the Opposition parties were accepted by us to this Bill and we are thankful to them for having gone so deeply into the matter and suggested such useful amendments. Having done that, it is not right for any hon. Member to say that we reject amendments because we are completely closed to accepting amendmens from hon. Members. Wherever any amendment is found suitable and useful, we would definitely accept it. Shri Lobo Prabhu has taken a lot of pains in moving his amendments and some of his amendments are useful; but if they are already covered under the provisions of the Bill, I am not in a position to accept them.

His amendment here says that persons belonging to the public sector undertakings or the Corporation and other things in the Union territory should be covered by it. They are covered as far as allegations go but they are not covered as far as grievances are concerned. If there is a tender awarded by a public sector undertaking and there is some difficulty about the tender, persons who have not been awarded the tender can go to the higher authority; they can come to the Government and can even go to the court and challenge that kind of discrimination on various grounds that are provided for in the laws and in the Constitution; but if there is any allegation against any of these people which Shri Lobo Prabhu has in mind, that is already covered by this Bill for the allegations of the categories which Shri Loo Prabhu has indicated are already covered under the Bill. Therefore the intention that he has in mind to fight corruption or to discourage such tendencies among public servants in Union territories and in the public sector organisations is already covered under this and I do not think it is necessary for me to accept any of these amendments.

SHRI N. K. P. SALVE: In view of the explanation of the Home Minister I seek leave of the House to withdraw the amendment.

SHRI LOBO PRABHU: I also wish to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Have the hon. Members the permission of the House to withdraw their amendments?

Amendments Nos. 75 & 89 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is: "That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill

Clause 9—(*Provisions relating to complaints*).

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I move:

Page 8, line 35,—

after "allegation", *insert*—

"anonymous or" (17)

SHRI SRINIBAS MISRA: Sir, I move:

Page 9, line 7,—

for "place" *substitute* "institution" (52)

Page 9, line 10,—

for "place' *substitute* "institute" (53)

Then, under rule 79 I may be permitted to move amendment No. 54 in a modified form. It was submitted in one form but now I want to make some verbal changes. I move:

Page 9, line 10,—

add at the end.—

"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)". (54)

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I move:

Page 9,—

after line 10, *insert*—"Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (132).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, I move:

Page 9,—

after line 10, *insert*—"Provided that no stamp duty or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (188).

SHRI SRINIBAS MISRA: My amendments Nos 52 and 53 are almost the same amendments. According to the previous provision in this Bill, persons who are in custody will write the letter to the Lokpal and the Lokayukta and that letter will be forwarded by the person having their custody. It was strange that originally the drafting was:—

"Notwithstanding anything contained in any other enactment, any letter written to the Lokpal or Lokayukta by a person in police custody or in a jail or in any asylum or any place for insane persons."

Previously, was "receptacle" in place of "place", as if our insane persons were kept inside a vat. The Joint Committee changed it to 'place". My submission is that that is not appropriate. Perhaps the hon. Minister will concede that there are benches in parks and many insane and mad persons go and live there. Will it be necessary for the keeper of the park to forward his letters? So, I have tried to suggest that in place of "place", the word "institution" should be substituted. The proper word is 'institution'. Wherever insane persons are kept under custody or in the care of somebody, there is an institution, not a place like river bank or park where some insane persons collect and there is a PWD officer-incharge or somebody. It is not that. It should be an institution.

Then, my amendment No. 54 in modified form is like this. On P. 9, line 10, add at the end, "and the Lokpal or Lokayukta as the case may be may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)". What I mean to suggest is that whenever such a person writes a letter, it shall be forwarded and whenever the Lokpal or Lokayukta thinks that he can act upon that letter, he will treat it as a complaint.

It is a very simple and clear amendment and, I hope the Government will accept it.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, मेरा संशोधन क्लाज 9 (बी) में है :

Page 8, line 35,—

after "allegation", *insert*—"anonymous or"

शब्द "एलिगेशन" के बाद म शब्द "एनानिमस और" जुड़वाना चाहता हूं । लोकपाल और लोकायुक्त के सामने जो शिकायत की जायेगी, कौन आदमी शिकायत कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, किस तरह से लोकपाल और लोकायुक्त के द्वारा जांच की जायेगी, उसके मुताल्लिक यह है । जो शिकायत करने का तरीका रखा गया है उसमें है :

"Every complaint shall be made in such form and shall be accompanied by such affidavits.... as may be prescribed."

तो यह तरीका ठीक नहीं है । बहुत से लोग समाज में खराबियों को जानते हैं, बड़े अफसरों और मिनिस्टरों की खराबियों को जानते हैं लेकिन उनकी कहने की हिम्मत नहीं होती है । अगर आप इसको इसी तरह से रखते हैं तो शायद कोई भी शिकायत सामने न आयें । इसीलिए मैं चाहता हूं कि एनानिमस शब्द भी इसमें जोड़ दिया जाये, अगर कोई गुप्त नाम से भी लोकपाल, लोकायुक्त को शिकायत कर देता है तो वे उसकी जांच कर लें कि प्राइमा फैसी केस बनता है और अगर बनता है तो आगे उसकी जांच होनी चाहिए । इस रास्ते को भी अख्तियार किया जाना चाहिए । यदि आप इसी बात को रखते

हैं कि सर्टिफाइड एफिडेविट लगाये तो फिर हो सकता है कि जितनी शिकायतें आनी चाहिएं उसमें से 5 परसेन्ट ही आयें और 95 परसेन्ट शिकायतें वैसे ही रह जायं। आज दिल्ली में सभी लोग जानते हैं कि सिन्डीकेट की वजह से कितनी खराबियां हो रही हैं लेकिन किसी की सिन्डीकेट के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इस लोकसभा के अन्दर ही जो सदस्य हैं उनके दिल में रहता है, वे जानते हैं कि फलां मिनिस्टर खराब काम करता है, उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए लेकिन एफिडेविट लगाकर वह देना चाहते नहीं हैं। इसीलिए मैंने एनोनिमस का रास्ता रखा है। इससे आपका काम ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा शिकायतें सामने आयेंगी और उस आदमी के लिए घबराने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे आपके इस बिल का मकसद पूरा हो जायेगा। इसीलिए मैं शब्द एनानिमस को इसमें जुड़वाना चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि लोकपाल और लोकायुक्त को कम्पलेन्ट करने का तरीका बहुत सरल और सीधा होना चाहिए जिससे जिसको जो भी शिकायत करनी हो वह आसानी से कर सके। बहुधा देखा गया है कि जनता में किसी को कोई शिकायत हो तो वह उसके खिलाफ कोर्ट में जाये और वहां शिकायत करे और फिर उसमें यह हो जाता है कि इतने का स्टैम्प हो, फलां कागज हो इत्यादि। गरीब आदमियों के पास स्टैम्प के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें यह आ जाना चाहिए कि उसमें स्टैम्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम्प्लेन्ट सीधी और सरल भाषा में की जा सकती है। मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री वि० प्र० मंडल : सभापति जी, मेरे पूर्व वक्ता ने मेरे कार्य को हल्का कर दिया है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Page 9,—

after line 10, *insert*—"Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint".

आज गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। अदालत का रुख अमीर आदमियों के पक्ष में होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम लोकपाल और लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को और अदालतों की तरह नहीं बनाना चाहिये। इसीलिये स्पेसिफ़िकली हम चाहते हैं कि कोई स्टाम्प या किसी किस्म की फीस न लगे। माननीय त्यागी जी ने भी यही बात कही है, मैं भी यही कहना चाहता हूं, और आशा है कि मंत्री जी इस को भी मान लेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, जहां तक माननीय शिव चन्द्र झा का संशोधन हैं वह चाहते हैं कि गुमनाम तरह से जो शिकायत आये उस को भी लोकपाल मन्जूर करे। इस विधेयक में जो हम प्राविधान कर रहे हैं उस में ऐफीडेविट लगायेगा जो शिकायत करना चाहता है। क्यों कि बिना इस के यदि कोई कमप्लेन्ट करेगा तो काफी काम बढ़ जायेगा जिस को लोकपाल और लोकायुक्त नहीं कर पायेंगे। इसलिये ऐफीडेविट लगाना जरूरी है। और जब ऐफ़ीडेविट की बात आ गयी तो फिर गुमनाम शिकायत मन्जूर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी एक प्राविधान है इस बिल में जिस की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वह यह है कि लोकपाल को इस बात का अधिकार दिया हुआ है कि वह स्वयं हो कर बिना किसी शिकायत के भी किसी मामले की जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस के लिये उन को कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है। बिना शिकायत के अगर उन को संतोष हो जाये कि जांच करनी है

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

तो वह जांच कर सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्था होने के कारण जो चीज माननीय सदस्य के मन में है कि लोकपाल को अधिकार होना चाहिए, वह उन के अधिकार में आ जाता है, और जब चाहे लोकपाल स्वेच्छा से किसी भी मामले की जांच पड़ताल खुद कर सकते हैं चाहे ऐफीडेविट हो या न हो, कोई गुमनाम पत्र हो या न हो, जब चाहेगा अपने अधिकार का उपयोग करके इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं।

जहां तक माननीय मंडल, माननीय त्यागी और माननीय श्री निवास मिश्र जी के संशोधनों का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कही हैं वह काफी ठीक बात है कि यदि कोई आदमी जेल से या दूसरी जगह से पत्र भेजे तो उस में इस तरह की कार्यवाही करना स्टाम्प लगाना मुश्किल होगा, और हो सकता है कि अपनी तरफ से वह कार्यवाही करने में उस को कठिनाई हो। इसलिये मैं आप के संशोधनों को स्वीकार कर सकता हूं। पर जो संशोधन संशोधित रूप में माननीय मिश्र जी ने दिया है वह संशोधन ऐसा है जिस को मैं स्वीकार कर सकता हूं। इसलिये माननीय श्रीनिवास मिश्र जी का जो 54 नम्बर का संशोधन है उस को मैं स्वीकार करूंगा (व्यवधान) हम ने इस को प्लेस किया था, लेकिन अब आप इंस्टीट्यूशन शब्द चाहते हैं। माननीय मिश्रा जी के संशोधन संख्या 52, 53 के बारे में मैं आप को अभी बताऊंगा।

संशोधित फार्म में जो संशोधन माननीय मिश्रा जी ने पेश किया है वह संशोधित फार्म मुझे मन्जूर है। उस में वही चीज है जो माननीय त्यागी जी और माननीय मंडल जी चाहते हैं। और मै उम्मीद करता हूं कि चूंकि माननीय श्रीनिवास मिश्रा जी का संशोधन स्वीकार कर लिया है इसलिये दोनों सदस्यगण अपने अपने संशोधन, जिनका एक मतलब वही है, वापस ले लेंगे।

माननीय मिश्रा जी के जो 52 और और 53 नम्बर के संशोधन हैं उस में वह चाहते हैं कि 'प्लेस' की जगह 'इंस्टीट्यूशन' किया जाये।

सभापति जी, आप को याद होगा कि जब प्रवर समिति में यह मामला चल रहा था तो काफी बातचीत इस पर हुई थी और प्रवर समिति में ही हम ने 'रिसेप्टिकल' को बदल कर 'प्लेस' किया था। और अब फिर माननीय सदस्य चाहते हैं कि 'प्लेस' बदल कर 'इंस्टीट्यूशन' किया जाये। मेरी प्रार्थना है कि 'प्लेस' में 'इंस्टीट्यूशन' शामिल है। 'प्लेस' में ऐसा नहीं है कि 'इंस्टीट्यूशन' ऐक्सक्लूडड है। और चूंकि प्लेस वाइड शब्द है, उस में ये सब चीजें आती हैं, और जो माननीय सदस्य का मतलब है वह इस में शामिल है। इसलिये मैं चाहूंगा कि संशोधन संख्या 52 और 53 को वापस ले लिया जाय।

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I withdraw my amendment 17.

SHRI SRINIBAS MISRA: Except amendment 54 I would like to withdraw my other amendments.

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I withdraw my amendment 132.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir I withdraw my amendment No. 188.

Amendments Nos. 17, 52, 53, 132 & 188 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 9, line 10, *add* at the end—

"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)." (54).

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 10—(*Procedure in respect of investigations*).

SHRI B. P. MANDAL: I beg to move:

Page 9,—

after line 27, *insert*—

"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation." (133).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 9,—

omit lines 14 to 18 (150).

Page 9, line 20,—

for "offer his comments on such complaint or statement" *substitute* "explain his action." (151).

Page 9, line 27,—

for "during or after the investigation" *substitute* "or during the investigation." (152).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 10, line 9,—

omit "and the public servant concerned." (189).

श्री बि० प्र० मंडल : सभापति जी, मेरा संशोधन है कि :

"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation."

मैं चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर न रहे क्योंकि उसके बारे में गांधी जी ने "My Experiment with Truth. में लिखा है और मुझे भी कुछ दिन मैजिस्ट्रेट रहने का मौका मिला है और मैं जानता हूं कि हर दम यह कहना कि लीगल प्रैक्टीशनर की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि लोकपाल और लोकायुक्त को वकीलों, ऐडवोकेट लोगों के हाथ से अलग रखना चाहिए। नहीं तो झंझट होगा और लेंथी प्रोसेस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर न रहे।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, मेरे तीन संशोधन हैं। पहला संशोधन यह है कि पंक्ति 14 से 18 तक को हटा दिया जाय क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें यह बात कही गयी है कि कोई कम्पलेन्ट करे तो उसकी कोपी या अगर खुद लोकपाल या लोकायुक्त कोई इंवेस्टीगेशन करे तो उसकी ग्राउन्ड वह सम्बन्धित कर्मचारी को और कम्पीटेंट अथौरिटी को भेजे। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

क्लाज (बी) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"offer his comments on such complaint or statement."

मेरा कहना है कि इस को हटा कर वहां कहा जाय कि सिर्फ आप अपने ऐक्शन को एक्सप्लेन कीजिये। उन को यह मौका क्यों दिया जाय कि आप एक्सप्लेन कीजिये। जब चार्ज है तो लोकपाल का कर्त्तव्य होना चाहिए कि उन से कहे कि आप के ऊपर यह चार्ज है इस के बारे में आप को क्या सफाई देनी है वह दीजिये।

आखिरी संशोधन यह है कि :

"during or after the investigation."

अगर कोई इनक्वायरी हो रही है तो यह बात ठीक है कि इनक्वायरी के समय में जो गवाह है उसका नाम या अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है उसका नाम नहीं बतलाना चाहिए

[श्री रामावतार शास्त्री]

जनता को उस के पहले और इनक्वायरी के समय में । लेकिन बाद में बतलाने में क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं आता ।

अगर किसी ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है उस पर कोई आरोप है तो जब फैसला हो जाय तब बतलाने में क्या आपत्ति है । इसको बतलाना चाहिए ताकि जनता समझ जाय कि फलाने अफसर या फलाने आदमी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया ।

उसी तरीके से किस ने ऐसा काम किया और किस के कहने से किया जो गवाह है उसका नाम भी बतलाया जाना चाहिए ताकि जनता को यह भी मालूम हो कि हमारे जनतन्त्र में ऐसे जागरूक लोग हैं जो अगर कोई अफसर या मिनिस्टर या और कोई गलत काम करता है, भ्रष्टाचार के अभियोग में पकड़ा गया है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं । यह ठीक है कि एनक्वायरी के बीच में आप उस का नाम न बतलाये लेकिन बाद में इस तरह के काम करने वालों और गड़बड़ करने वालों का नाम जरूर बतलाना चाहिए ।

मेरे ये तीन संशोधन हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उन को स्वीकार करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, इस विधेयक के क्लाज 10 में आया है कि :

> In any case where the Lokpal or Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint he shall record his reasons thereof and communicate the same to the complainant and the public servant concerned.

मेरा इसमें आब्जेक्शन यह है कि किसी ने शिकायत की किसी गवर्नमेन्ट सर्वेंट के खिलाफ और वह उसको ठीक मानता है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त ने उसमें कोई दम नहीं देखा या शिकायत गलत साबित हुई तो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट के पास क्यों भेजा जाय । उस को कम्प्लेनेन्ट के पास भेजा जाय यह ठीक है लेकिन पब्लिक सर्वेंट के पास जिस के खिलाफ शिकायत की गई है, भेज देने के अर्थ यह होंगे कि कोई भी आदमी किसी अफसर के सम्बन्ध में शिकायत करने का साहस नहीं करेगा । हो सकता है कि उस ने ईमानदारी के साथ शिकायत की हो लेकिन वह बात लोकपाल और लोकायुक्त की समझ में न आई हो । ऐसी स्थिति में शिकायत करने वाले के पास उस को भेज देना ठीक है मगर पब्लिक सर्वेंट के पास भेजने की बात को मैं ठीक नहीं समझता । चूंकि शिकायत करने के बाद आदमी के सामने कठिनाई आ सकती है क्योंकि जिस अफसर के अन्डर में वह काम करता है उसके खिलाफ शिकायत गलत साबित होने पर उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है इस लिए भय के कारण कोई अफसर की शिकायत नहीं करेगा । इसलिए इस वाक्य को हटा देना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट के पास भेज दिया जायग ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री मंडल चाहते हैं कि इस में वकीलों को न जाने दिया जाय । इसके बारे में प्रवर समिति में काफी चर्चा हो चुकी है । ज्यादातर सदस्यों का यही खयाल था जो श्री मंडल का है कि वकीलों को जाने से बहुत सी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में पैदा हो सकती हैं । इसी लिये हम लोगों ने इस क्लाज में तय किया कि जो लोकपाल या लोकायुक्त हैं वह स्वयं अपनी रीति अथवा प्रोसीजर को तय करेंगे । उन्हें इस बात का अधिकार रहेगा कि वह चाहें तो वकीलों का आना रोक सकते हैं । ऐसे भी मामल आ सकते हैं जिनमें बहुत गरीब और ऐसे लोग जो सरकारी नौकर हैं जो लोकायुक्त और लोकपाल के सामने जाकर अपनी शिकायतें

को स्वयं नहीं रख सकते ठीक से और उनको किसी सफाई देने वाले की आवश्यकता हो सकती है, ऐसी स्थिति में लोकपाल और लोकायुक्त के पास इस बात का अधिकार रहेगा कि अगर किसी एप्रोप्रिएट केस में वह चाहे तो उनको आने दे । पर इसमें यह साफ बात है कि उनको इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि जब वह अपने रूल्स और प्रोसीजर बनायेंगे तब चाहें तो वकीलों का आना बन्द कर सकते हैं । उनको इस बात का पूर्ण अधिकार रहेगा । इसलिये श्री मंडल के संशोधन का जो उद्देश्य है वह इस धारा से पूर्ण हो जाता है । मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को देखते हुए वह अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे ।

जहां तक श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त की जो कार्रवाई होती है वह अन्तिम कार्रवाई नहीं है । प्राइमा फेसी केस हैं या नहीं इसको जानने की बात है । उनका जो अमेंडमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि लाइन 14 से 20 तक हटा दिया जाय । इसका मतलब होगा कि अगर हम किसी भी सरकारी कर्मचारी से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो जो कापी आफ दि कम्प्लेन्ट है वह नहीं मिलेगी । हमारी जो रीति है, जैसा बिल में रखा गया है, उसके अन्तर्गत पहले कापी देनी होगी जो आरोप लगाये गये हैं उनकी और उसके बाद वह जवाब देगा । यदि पहले हम एक्सप्लेनेशन मांगें और कापी बाद में मिले तो एक्सप्लेनेशन किस बात का मिलेगा ? अगर इस संशोधन को मंजूर कर लिया जायेगा तो जो प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया है उस में बाधा पड़ेगी ।

तीसरा संशोधन है कि जो आदमी शिकायत करे उसका नाम भी सामने आना चाहिये और जिसके खिलाफ शिकायत करे उसका नाम भी आना चाहिये जैसा मैं कह रहा था जब केस के ऊपर निर्णय आ जाय तब उस व्यक्ति का नाम आ जाय तो कोई हर्ज नहीं है । लेकिन जब तक निर्णय न हो और निर्णय के बिना ही उसका नाम फैला दिया जाय और कहा जाय कि इस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, यह कार्रवाई हो रही है, वह कारवाई हो रही है, उसकी बहुत बदनामी हो जाय और बाद में वह निर्दोष सिद्ध हो जाय तो बदनामी के कारण उसको कष्ट सहना पड़ेगा वह तो हो ही जायेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री: 'इयूरिंग और आफ्टर दि इन्वेस्टिगेशन ।'

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बतला रहा हूं । आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भी चार्ज सिद्ध नहीं हुआ तो लोकपाल और लोकायुक्त जो काम करेंगे, जो उनकी फाइंडिंग होगी उसके बाद डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये केस जायेगा क्योंकि सजा देने का अधिकार लोकपाल और लोकायुक्त को तो नहीं है । वह तो केवल प्राइमा फेसी केस है या नहीं यह देखते हैं । वह ऐप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल ऐक्शन के लिये भेजेंगे । डिपार्टमेंटल ऐक्शन की कार्रवाई पूरी हो जायेगी, उस के बाद सजा मिलेगी । लोकपाल और लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अपराध सिद्ध नहीं हुआ, पर अपराध किया ह इसकी संभावना व्यक्त होती है इसलिये वहां भेजते हैं । वह यह कह सकते हैं कि इसका कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है इसलिये इस पर कोई कार्रवाई न की जाये । पर कई केसेज ऐसे हो सकते हैं जिन पर कह सकते हैं कि इस पर अपराध करने का प्राइमा फेसी केस है इस लिये इसे डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये दिया जाये । जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित होगा वहां जाकर जो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी का प्रोसेस है वह फालो होगा । वहां पर उसका अपराध सिद्ध होगा या असिद्ध होगा । इस लिये पहले से नाम बतला देना ठीक नहीं होगा । यद्यपि कई एसे मामले हो सकते हैं जिन के बारे में आम जनता की काफी रुचि है, काफी कौतूहल है । ऐसे मामलों को छिपा कर रखना

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

किसी भी स्टेज पर उचित नहीं होगा। इस लिये हम लोगों ने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि ऐसे केसेज पब्लिक हिअरिंग के लिये हो सकते हैं। वह इन कैमेरा हिअरिंग के लिये जायें यह आवश्यक नहीं है। इस तरह के निदेश लोकायुक्त और लोकपाल को दिये गये हैं कि जो मामले या मुकदमे ऐसे हैं जिनमें वह समझते हैं कि आम जनता को काफी रुचि या कौतूहल है, जिनकी इम्पार्टेंस इतनी है, उन्हें आम जनता के सामने खोल कर रखना चाहिये शुरू से। लोकपाल को अधिकार है कि वह ऐसा कर सकते हैं। इस लिये मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिये कि हम सब केसेज खोल दें जिनमें आधे लोग बेचारे अन्त में निर्दोष सिद्ध हों। इसलिये पहले से नाम आ जाय इससे न्याय पूरा होने की स्थिति नहीं होगी।

मैं माननीय सदस्यों से निवदन करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन मूव किये हैं उन्हें वह हटा लें और इस क्लाज को जैसे का तैसा पास कर दें।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास कम्प्लेंट के भेजने का क्या तात्पर्य है? किसी की शिकायत को लोकपाल ने ठीक नहीं समझा तो उसको कम्प्लेनेंट के पास भेज देंगे साथ ही जिसकी शिकायत है उसके पास भेज देंगे, इस का क्या मतलब है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसकी प्रक्रिया जो है उसको लोकपाल और लोकायुक्त स्वयं तय करेंगे कि उसमें क्या करना है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भेजने का क्या मतलब है? तब कोई शिकायत ही नहीं करेगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि किसी के खिलाफ शिकायत है और उसका हम एक्सप्लेनेशन चाहें तो उसके पास शिकायत का प्रारूप तो भेजना ही पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : इस तरह से नहीं। अगर लोकपाल उसको ठीक नहीं समझता है तो वह कम्प्लेंट को देने ही वापस कर दें, जिसके खिलाफ शिकायत है उसके पास क्यों भेजा जायेगा?

16 hrs.

श्री विद्या चरण शुक्ल : आपकी अमेंडमेंट का नम्बर क्या है?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मेरी एमेंडमेंट है पेज 10, लाइन 9 पर ....

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब भी लोकपाल किसी के खिलाफ इनक्वायरी करना चाहता है तो उस कम्प्लेंट की कापी को उस सरकारी अधिकारी के पास वह भेजता है और उससे कहता है कि वह उसके बारे में जो कहना चाहे कहे। सरकारी अधिकारी को यह पता रहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात हो रही है। उसको पता रहता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला ....

श्री ओम प्रकाश त्यागी : ऐसा नहीं है। पेज 10 पर आपने कहा है :

"In any case where the Lokpal or a Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public servant concerned."

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं समझ गया हूं। प्राकृतिक न्याय के लिये यह बहुत जरूरी है, इसलिए इस अमेंडमेंट को मैं मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : कोई रीजन भी तो दें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बहस नहीं करना चाहता हूं । लेकिन जो प्रक्रिया हमने यहां रखी है उसमें एक स्वाभाविक और एक प्राकृतिक न्याय देने की बात हमने कही है । इस प्रक्रिया में जरा भी फेरबदल किया जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : शिकायत करने वाला आफिसर्स के खिलाफ शिकायत करेगा लेकिन लोकपाल ने अगर उस शिकायत को ठीक नहीं समझा तो फिर उस मामले को खत्म करो । आप उस कम्पलेंट को अफसर के पास क्यों भेजते हैं । कहां तो आप यह कह रहे हैं कि बदनामी न हो जाए लेकिन फिर आप उस शिकायत को अफसर के पास भेज देंगे । इससे उसकी नौकरी खतरे में हो जाएगी । उसके पास आप क्यों फिर उस शिकायत को भेज रहे हैं । कुछ लक्ष्य तो आपका होगा इसको रखने में ? कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट के पास आप फिर इसको क्यों भेज रहे हैं ?

SHRI B. P. MANDAL: I beg to leave of the House to withdraw my amendment.

Amendment No. 133 *was, by leave withdrawn.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put the other amendments to clause 10 to vote.

Amendments Nos. 150, 151, 152, 189 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand and part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 *was added to the Bill.*

Clause 11— (*Evidence.*)

SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 11, line 9,—*after "shall" insert*—'unless the investigating authority after examining the question specifically so directs," (55).

Page 11, line 25, *for 'binding and conclusive' substitute 'prima facie evidence of such nature'.* (56)

Page 11, *omit* lines 26 to 29. (57).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 11, line9, *for* 'person' *substitute* 'Government employee'. (190).

SHRI SRINIBAS MISRA: Clause 11 speakes about the evidence to be taken by the Lokpal or Lokayukta. It rather aims very high that he will take evidence, untrammelled by all rules, and no person should claim any privilege to secrecy. But I do not understand how after sub-clause (4), the following sub-clause has been put, in, namely—

"No person shall be required or authorised by virtue of this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document—

(a) as might prejudice the security or defence or ...."

—so far , that is understandable and intelligible but, what about the sub-clause (b) which follows, namely—

"(b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the Union Government or any Committee of that Cabinet or of the Cabinet of the Government of any Union territory or of the Executive Council constituted under the Delhi Administration Act, 1966, or of any Committee of such Cabinet or Executive Council....".

Somebody who is asked to give evidence can take shelter under this provision. If a Secretary certifies that this will come under either 5(a) or 5(b), that will be conclusive. I suggest that after 'shall', we should add 'unless the investigating authority after examining the quetion specially so direct'. All these matters should be

[Shri Srinibas Misra]

placed before the Lokayukta or Lokpal; he should look into it and then decide. If he specially directs, it must be produced. If not, it will not be produced.

As regards the last one, that it should be binding and conclusive, it cannot be so. It can be rebutted. Once a certificate is given by a Secretary, it will only mean that on *prima facie* evidence it will come under 5(a) or 5(b). But it is open to the other side to challege that it does not come under either of these.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सब क्लाज 5 में लिखा है "नो परसन शैल बी रिक्वायर्ड"। यानी किस भी आदमी से इस प्रकार का डाकुमेंट नहीं मांगा जा सकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो या दूसरे देशों के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जो हैं, उनको प्रभावित करता हो।

किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से इस प्रकार का रिकार्ड मांगा जाए जो हमारी डिफेंस से सम्बन्ध रखता हो या हमारी कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग्ज हैं, उनको मांगा जाए तो मैं इस को अनुचित समझता हूं। इसको नहीं मांगा जाना चाहिए। अगर मांगा जाता है तो अगर कोई भी व्यक्ति न दे तो ठीक है। लेकिन मान लो यहां कोई सी आई ए का एजंट है, अमरीका का, रशिया का, चीन का या पाकिस्तान का एजेंट है और वह पकड़ा जाता है और उसके पास कुछ इस प्रकार के सीक्रेट्स हैं जिन के आउट होने से पाकिस्तान, रशिया या अमरीका के सम्बन्धों में गड़बड़ होगी तो क्य आप उस एजेंट से डाकुमेंट मांग सकेंगे या नहीं मांग सकेंगे, यह मैं आप से जानना चाहता हूं। मैं उदाहरण देता हूं। मान लो किसी जगह पर कम्युनल रायट हो जाता है और मान लो कि उस कम्युनल रायट में किसी विशेष वर्ग, मान लो मुसलमानों के साथ कोई बड़ा अत्याचार हो जाता है और वह किसी एजेंट के कारण होता है और हो सकता है कि वह आदमी यह कह दे कि इस डाकुमेंट के प्रकट होने से इसका प्रभाव हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर जा कर पड़ेगा, तो क्या इस कारण से उस डाकुमेंट को आउट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मान लो चीन का कोई एजेंट पकड़ लिया जाए और वह कहता है कि जो डाकुमेंट है उसको मैंने दे दिया तो जो तुम्हारे सम्बन्ध बने हुए हैं वे बिगड़ जायेंगे या अमरीका का आदमी पकड़ा जाता है और वह कहता है कि तुम्हारे सम्बन्ध अमरीका के साथ खराब हो जाएंगे, तो क्या इस कारण से आप उस डाकुमेंट को आउट करने की आप इजाजत नहीं देंगे ? अगर सरकार न दे तो बात समझ में आती है लेकिन आपने तो लिखा है "नो परसन" इस में तो एजेंट भी आ जाएगा। अब वह एजेंट आपको वह कागज देगा या नही ? इस वास्ते मैंने सुझाव दिया है कि नो परसन की जगह गवर्नमेंट एम्प्लायी कर दें। अगर कोई एजेंट पकड़ा गया और उसने यह प्ली लेली तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यहां पर इस प्रकार के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो चोरों का, डाकुओं का और गद्दारों का भी साथ देते हैं। आप उस अवस्था में इस का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। इस वास्ते नो परसन की जगह आप गवर्नमेंट एम्प्लायी लिख दें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मिश्र जी ने अपने संशोधन में कहा है कि क्लाज 11 (5) (ए) का संशोधन किया जाए और एक एक्सैपशन किया जाए ताकि जो सर्टिफिकेट कोई सैक्रेटरी या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसको वह ओवर राइड कर सके और जो डाकुमेंट हम नहीं देना चाहते हैं उनको देने के लिए भी बाध्य किया जा सके। सवाल इतना ही पैदा है कि यदि कैबिनेट को फंकशन करना है तो कैबिनेट के डाकुमेंट या कैबिनेट प्रोसीडिंग्ज यदि इनको भी हमें देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो फिर

कैबिनेट सिस्टम जो है, उसको चलाये रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, कैबिनेट का जो हमारा काम चल रहा है, उसका चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा । इसके ऊपर हमने काफी सोच विचार किया है । दूसरी बात यह है कि एम्बुड्जमैन के जो विधेयक बाहर बने हैं इसके सम्बन्ध में कानून बाहर बने हैं, उनकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है । हमने देखा है कि जहां यह संस्था अच्छी तरह से काम कर रही है, उनके वहां भी यह प्रावधान है कि यदि सरकार द्वारा कोई कागज या सूचना प्रकट किये जाने पर जन-हित की हानि की आशंका हो, तो सरकार के लिये उस कागज या सूचना को भेजना आवश्यक नहीं है और जब इस आशय का सर्टिफिकेट सेक्रेटरी द्वारा दिया जाये, तो उसको मंजूर कर लिया जाये । इसलिये मैं नहीं समझता कि हम माननीय सदस्य के संशोधन को मंजूर कर सकते हैं । अगर ऐसे डाकुमेंट पेश कर दिये जायें, तो जो बाद में सबके सामने आ जायें, तो उनसे दूसरे देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नष्ट हो सकते हैं और आगे चल कर बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है ।

श्री त्यागी ने यह संशोधन रखा है कि "पर्सन" की जगह "गवर्नमेंट इम्प्लाई" रख दिया जाये । हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को जरूर वाइड रखा जाये, ताकि इसके अन्तर्गत न केवल सरकारी कर्मचारी, बल्कि हर एक व्यक्ति आ सके । इसको रखने से लोकपाल और लोकायुक्त को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो, बुला सकें और इस बारे में कार्यवाही कर सकें । "गवर्नमेंट एम्प्लाई" शब्द रखने से पब्लिक सेक्टर के एम्प्लाईज, यूनियन टेरीटरीज में म्यूनिसिपल कारपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारी इसके अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे, वे इस प्राविजन के परिधि से बिल्कुल बाहर हो जायेंगे । इसलिये "गवर्नमेंट एम्प्लाई" के बजाये "पर्सन" रखना ही उचित होगा ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मान लीजिये कि किसी कन्ट्री का कोई एजेन्ट पकड़ा जाता है और वह इस व्यवस्था का लाभ उठा कर कहता है कि अगर वह अमुक कागज या सूचना पेश करेगा, तो उस कन्ट्री के साथ उदाहरण के लिये रशा के साथ, रिलेशन्ज खराब हो जायेंगे । मंत्री महोदय का इस बारे में क्या कहना है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसके ऐसा कहने से कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि सरकारी अधिकारी स्वयं इस आशय का सर्टिफिकेट न दे । किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट देने या कहने से काम नहीं चलेगा । लोकपाल या लोकायुक्त के पास मंत्रि-मंडल के सचिव या सरकार के किसी अन्य सचिव की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जायेगा, केवल वही लागू होगा, किसी भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट लागू नहीं होगा । यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक कागज या सूचना को प्रकट करने से हमारे मित्र देशों के साथ सम्बन्धों में नुकसान होगा, तो वह सर्टिफिकेट लोकपाल या लोकायुक्त पर लागू नहीं होगा । इसलिये माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रेस न करें ।

MR. CHAIRMAN: Have Mr. Tyagi and Mr. Misra leave of the House to withdraw their amendments?

Amendments Nos. 55 to 57 and 190. were by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12—(*Reports of Lakpal and Lokayuktas.*)

SHRI LOBO PRABHU: I move:

Page 12, line 22,—

for "President" *substitute* "Speaker" (77).

[Shri Lobo Prabhu]

Page 12, line 30,—

for "President" *substitute* "Speaker" (78).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I move:

Page 12, line 27,—

add at the end—

"and the President shall cause it to be laid before the Parliament within three months."(192).

SHRI LOBO PRABHU: Sir, in these amendments and some others which have already been passed over, I have raised a fundamental issue whether the Lokpal will be a Commissioner for the Parliament or a Commissioner for the Government. There is a vital distinction of the Lokpal being under the President and being under the Speaker. If the Lokpal is under the President, according to the present constitutional practice, he is under the orders of the Government, the Prime Minister and of her Ministers concerned. He is by no means independent. The question is: when he differs from the Government, when he differs from the Prime Minister, and he functions through the President, has he a fair chance of presenting his case? Is the President likely to differ from the Prime Minister or the Minister concerned? The President has been unfortunately a rubber-stamp according to our constitutional practice. He is bound to take the advice of the Prime Minister. How can he then, when he gets these papers showing difference of opinion, between Lokpal and the Prime Minister, have his own difference of opinion? It means this: that if you interpose the President, any power to differ from the Government for the Lokpal, would be a redundant exercise serving no purpose. It is almost deceiving the people.

Not only is this a constitutional impasse. There is the fact that the President and the Government have not been able to take sufficient work, sufficient use, from the authorities they have previously appointed to control corruption. I refer to the Grievance Commissioner and to the Vigilance Commissioner. I need not tell this House that this Grievance Commissioner, after existing for about three years, was ultimately found to be useless and was abolished. As far as the Vigilance Commisioner is concerned, the last report of the Home Ministry showed that while he began with a list of 6,000 complaints in the first year, last year those complaints were reduced to only 1,000. The people had so quickly lost their faith in this Vigilance Commissioner as they had lost faith in the Grievance Commissioner. The only reason for this is that he was part of the Government: he was a limb of the very persons whom he was supposed to check. We have a theory here that the Government can do no wrong: the divine right that the King can do no wrong. That theory extends to every Government servant!

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI LOBO PRABHU: I am concluding. This is a very vital issue.

MR. CHAIRMAN: Please speak on your amendment only.

SHRI LOBO PRABHU: This is my amendment. My amendment, therefore, is that for the word "President" wherever it occurs and particularly in this section, substitute the word "Speaker." The Speaker is the representative of the House. The Speaker is the competent authority to appoint many officials; he has his Secretary and all the other staff. I cannot see why the Lokpal should not be under the Speaker.

I would like the Minister to carefully consider this. You must give confidence to the people. You must not give them the feeling that their complaints are just being addressed to a blank wall and that they are only indulging in an exercise of futility. If you make this change, while it may appear to be a big change, you will be

giving the Bill some form of eredibility as far as the public is concerned.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, सब-क्लोज (6) में कहा गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुसार लोक सभा को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। इस लिए देश भर के प्रत्येक सरकारी कार्य का विवरण लोक सभा के सामने आना ही चाहिए, चाहे वह किसी के थ्रू आये, प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट या स्पीकर के थ्रू आये, जिससे देश की स्थिति का पूरा चित्र लोक सभा के सामने आ सके। और एक व्यवस्था कि लोकपाल किस ढंग से कार्य कर रहे हैं वह उस के सामने आ सके। इसलिए जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट आए तो मेरा अमेंडमेंट यह है कि

"and the President shall cause it to be laid before Parliament within three months".

तीन महीने के अन्दर प्रेसीडेंट साहब को जो वार्षिक रिपोर्ट मिली है वह पार्लियामेंट के सामने उपस्थित कर देनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है। अगर आप इस को नहीं रखते हैं और वह रिपोर्ट केवल प्रेसीडेंट तक ही रह जाती है तो मैं समझता हूं कि संविधान की भावना पर भी पार्लियामेंट की लोक सत्ता पर भी आघात आता है। इसलिए यह शब्द जोड़ दिए जायं, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान लोबोप्रभू ने यह कहा है कि जो लोकपाल की रिपोर्ट आए उसे स्पीकर के पास भेजना चाहिए, प्रेसीडेंट के पास नहीं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोकपाल की रिपोर्ट आएगी उसे गवर्नमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पेश करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर इस कानून के अन्तर्गत एक बन्धन लग गया है कि उन्हें वार्षिक रूप से इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखना आवश्यक है। इस लिए रिपोर्ट स्पीकर के पास यदि आए और स्पीकर हाउस के सामने रख दे, उस में गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन न रहे तो माननीय सदन को यह बात ठीक समझ में नहीं आएगी कि यदि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बातें हैं जिन को गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो उस का एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट को देना है वह तब तक नहीं आ सकता जब तक कि प्रेसीडेंट उस रिपोर्ट को न ले और गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेट्री मेमोरेंडम ले कर उस को सदन के सामने न रखे। वह चीज सदन के सामने आएगी क्योंकि इस का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे कम्प्ट्रोलर ऐंड आडीटर जनरल की रिपोर्ट है वह भी प्रेसीडेंट को जाती है, वह भी स्पीकर के पास नहीं आती, प्रेसीडेंट के पास आती है और गवर्नमेंट उस में जो ब्यौरा देती है जो अपना एक्सप्लेनेशन देती है उस के साथ वह सदन के सामने आती है। इसलिए जो प्रक्रिया बनी है कि जब इस माननीय सदन के सामने वह रिपोर्ट आए तो उसमें गवर्नमेंट का भी पूरा ब्यौरा एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रहना चाहिये वही प्रक्रिया ज्यादा अच्छी होगी कि बजाय स्पीकर के प्रेसीडेंट के पास वह रिपोर्ट आए और वहां से हर साल जैसे और रिपोर्ट्स को यहां रखना पड़ता है वैसे ही गवर्नमेंट के मेमोरेंडम के साथ यह रिपोर्ट भी यहां आए। इसलिए जो प्रक्रिया रखी गई है वही रखनी चाहिए और स्पीकर के पास रखने में उस में देर होगी। स्पीकर को फिर सरकार के पास भेजना पड़ेगा और सरकार फिर देखभाल करेगी और तब अपनी रिपोर्ट उस पर यहां पेश करेगी, तब माननीय सदस्य उस पर सोच विचार कर सकेंगे। शुरू से दोनों चीजें एक साथ आ जायेंगी तो उस रिपोर्ट पर विचार करने में सुविधा होगी।

उसी तरह से माननीय त्यागी जी ने जो अपना अमेंडमेंट दिया है उसमें वह चाहते हैं कि तीन महीने के अन्दर इस रिपोर्ट को

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

सदन के सामने पेश किया जाय । मैं उन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा 7 के अन्तर्गत वार्षिक रूप से इस सदन के सामने इस रिपोर्ट को सरकार को पेश करना पड़ेगा । उसमें किसी तरह का बीच बचाव नहीं है कि सरकार देर कर सके । अगर देर होने की संभावना होती तो मैं आप का अमेंडमैंट जरूर स्वीकार कर लेता । लेकिन क्यों कि हमने खुद इस का प्रावधान किया है कि वार्षिक रूप से यह रिपोर्ट सदन के सामने आए जैसे यू० पी० एस० सी० की या आडीटर जनरल की आती है ऐसे ही यह भी आए इसलिए उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । यह कहना कि तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिए, उस से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस में प्रावधान है कि जैसे वार्षिक बजट आता है या यू० पी० एस० सी० की रिपोर्ट आती है, आडीटर जनरल की रिपोर्ट आता है ऐसे ही इस को भी सदन के सामने रखा जाय । उस को जोड़ने से कोई विशेष फायदा नहीं है । इस लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें ।

MR. CHAIRMAN: Shall I put all the amendments to the vote of the House?

SHRI LOBO PRABHU: Sir, I may be permitted to press my amendments, because they are very important and I believe in them.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment Nos. 77 and 78 to the vote of the House.

Amendments Nos. 77 and 78 were put and negatived.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, I want to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 192 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: I will now put clause 12 to the vote of the House.

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा): वैयरमैन महोदय, यह कैसे पास कर रहे हैं, सदन में कोरम नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung ... Now there is quorum. The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

Clause 16—(Protection.)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I move:

Page 14, lines 28 and 29,—

for "or any member of their staff and employees"

substitute—

"or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13" (11)

This amendment has been found necessary to give protection to the agencies or persons referred to in clause 13 in respect of anything which is done in good faith. It is slight amendment which is being moved so that they are protected for any action taken by them in good faith.

MR. CHAIRMAN: The question is: Page 14, lines 28 and 29,—

for "or any member of their staff and employees"

substitute—

"or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13" (11)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill

Clause 18– (*Power to exclude complaints against certain classes of Public Servants.*)

SHRI SRINIBAS MISRA: I do not want to move my amendment. I will only commend to the Government to be consistent and logical. Here, it says, "a minimum monthly salary (exclusive of allowances) of one thousand rupees or more". What is the minimum? One thousand rupees or more? You say, it will be one thousand rupees or more. It is illogical. If you say, a minimum of one thousand rupees, it is all right. Why say a minimum of one thousand rupees or more? To make it logical, I suggest, it should be a monthly salary of one thousand rupees or more. To add the word "minimum" will not add to the dignity of the drafting or will not give them any more facility or make it more comprehensive.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Actually, it is kept at the discretion of the Lokpal. It is done on his recommendation. This is necessary to ensure proper and efficient functioning of the institution. Otherwise, so many cases may come to the Lokpal and Lokayuktas and their proper functioning will become impossible. So, I would request the hon. Member, in view of the practical difficulties that we have, not to press that.

SHRI SRINIBAS MISRA: You say, a minimum monthly salary of one thousand rupees or more. Is minimum one thousand rupees or more? Minimum must be a fixed sum. You say, minimum of one thousond rupees or more, that is, two thousand rupees may be minimum or even five thousand rupees may be minimum. Why do you say "minimum"? Why don't you say one thousand rupees or more?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Almost all the posts in Government do not carry a fixed salary. They have a scale of pay having a minimum and a maximum for a span of years. Therefore, it will be necessary to specify the posts which carry a minimum; more cannot be added or excluded by the notification. The allowances attached to the post may vary. So, to have a uniform treatment, it will be necessary to go by the salary attached to the post without allowances at arriving the figure of one thousand rupees.

SRI SRINIBAS MISRA: He is defending something indefensible. You say a minimum of one thousand rupees or more. You may say, a minimum of one thousand rupees. What is the meaning of "more"? Does it carry any meaning?

श्री अटलबिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): सभापति जी, शायद मतलब यह है कि तनख्वाह कम से कम एक हजार होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, मैं भाषा के बारे में कुछ नहीं कह सकता; लेकिन मन्शा ठीक है ।

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: (Raiganj): The sentence involves self-contradiction. Either the word "minimum" should be removed or the word "more" should be removed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We consulted our legal draftsman. There is no contradiction in it. I would say, it should be accepted as it is. We were ourselves concerned when this amendment was received by us. We got it examined.

MR. CHAIRMAN: Now, I put clause 18 to the vote of the House. The question is:

"Clause 18 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

[Mr. Chairman]

Clauses 19 to 22 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

The Third Schedule

SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 18, line 28,—

for "Government" *substitute*— "Government" (60)

Page 19,—

omit lines 5 to 9. (61)

Regarding amendment 60, as I have said, it should be plural; it should be 'Governments' and not 'Government', because we are saying 'States'. So, there cannot be only one Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I think, it is a proper and good amendment. We accept this.

SHRI SRINIBAS MISRA: I would like to speak on amendment 61. What are excluded from the purview of the Lokpal and Lokayuktas are given in the Third Schedule. Here (f) reads as follows:—

> "Action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims for pension, gratuity, provident fund or to any claims which arise on retirement, removal or termination of service."

This is self-defeating. If you are appointing Lokpal and Lokayuktas to look into the grievances and allegations of public servants, the citizens of this country, it is not proper that you should exclude these matters from the purview of the Lokpal and Lokayuktas. Therefore, my amendment is that this portion, namely, (f), lines 5 to 9 on page 19, should be omitted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This amendment is not acceptable to us because if the personal matters of government employees are also included in the purview of Lokpal and Lokayuktas, it will make the work of Lokpal and Lokayuktas very cumbersome. Therefore, we have excluded all the personal matters relating to government servants except those which relate to pension, gratuity and provident fund of ex-government servants. Amendment 61 is not acceptable to us.

SHRI SRINIBAS MISRA: I want my amendment 61 to be put to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN: I now put amendment 61, moved by Shri Srinibas Misra, to the vote of the House.

Amendment No. 61 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 18, line 28,—
for "Government" *substitute*—

"Governments". (60)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRI RANGA (Srikakulam): I think that the House has very good reason to congratulate itself on this Bill not that it is . . .

MR. CHAIRMAN: I want to draw your attention to one thing. This is third reading. It is not like the first reading. It is much shorter, only referring to maters which are referred to in the second reading. It should not be a long speech.

SHRI S. S. KOTHARI: I want to speak on the Third Reading.

SHRI SRINIBAS MISRA: A question was asked by an hon. Member from the DMK to know the meaning of Lokpal and Lokayukta. My mother tongue is something which is born from Sanskrit. I understand Lokpal, but this Lokayukta is very difficult for me to understand. The hon. Member has asked ten times so that the hon. Minister may give the meaning. Now, without understanding the meaning of Lokayukta, we are going to pass the Bill in the third reading.

SHRI RANGA: As I said, the House has very good reason to congratulate itself upon this Bill; not that it is entirely satisfactory, but it is because of the initiative taken by members of this House that the Government began to think on these lines and gave thought to the need for such a legislation. I think that the chief credit should go to that grand old national leader, Mr. Munshi, for having for the first time placed before the public the details of this institution known as Ombudsman in Sweden and familiarise the idea of it and press upon the public mind the need for establishing an institution like this. Next, the late Mr. Mathur, who was one of our senior members here, moved a non-official resolution and extracted the promise from the Government that they would think about this matter very seriously and take the necessary action. Then, the Administrative Reforms Commission came out with detailed proposals and a draft Bill also and gave a form to these two institutions in the manner in which they are indicated in this Bill as Lokpal and Lokayukta.

I agree with my friend, Shri Srinibas Misra, that it would have been much better for the Government to have chosen titles which would make a greater sense than these Sanskrit words and that would have pleased our friends from Tamilnadu also. Nevertheless, we need not quarrel over these names. I am extremely sorry that the Government has chosen to assert its innate conservatism that generally goes with any Government in its refusal to bring the Prime Minister and Chief Ministers within the mischief or within the ambit of this Bill..

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This Bill has nothing to do with State administration. It is only concerned with the Union Government.

SHRI RANGA: The Prime Minister has not been brought within it. They thought so much about the Prime Ministership that they were not willing to bring the Prime Minister within the mischief of this Bill. As I said, it is a very conservative attitude because we discussed this matter in the Congress Working Committee of those days just when Mahatma Gandhi was still alive and soon after he died because by that time Congress Ministries had come. Just like a baby which no sooner it comes into the world starts crying, similarly these Ministers also no sooner they become Ministers they begin to indulge in all sorts of wrong practices. Therefore, we wanted to have some check. Then we discussed it at great length. It is a long history. I need not go into that. In fact mentioned it in one of the Commonwealh Parliamentary Conferences also.

[Shri Ranga]

India has some history about this just like so many other democratic countries. The only difference between India and other countries is while Sweden, New Zealand, England and Australia had taken early action, in order to bring this kind of a solace, this kind of an institution into existence and thus protect the people and assure them of some protection against arbitrary action, discrimination on the part of the Government and also corruption from Ministers, our Government had to wait all these years. Why? Because they had a very high, exalted view of the Ministers. So, Sir, Pandit Jawaharlal Nehru said, we cannot think of congress ministers becoming corrupt: and if, by any chance, one or two were to become corrupt, we cannot simply hand them over to some independent officer. So, he devised the idea that any complaint made against congress ministers—at that time we had congress ministers only and no body else in this country—should be dealt with by the Chief Mnnisters concerned. If there were any complaints against Chief Ministers they should be sent up to the Prime Minister here and if any complaints against the Central Cabinet Ministers were there, they should be dealt with by the Prime Minister. But, later on, what happened? We found one of the Prime Minister's personal secretaries indulged in ways of corruption and the Prime Minister was obliged to shed that Secretary and wash his hands off him. Some of the Prime Minister's own colleagues were charged for corruption but he tried to shield them for as long as possible. He tried to shield the Chief Minister in Punjab as you know, till the very last moment. In the end he was forced to send his case to an ex-Supreme Court Judge and we know the results. That Chief Minister had to go. Similarly two Chief Ministers of Orissa had also to go. In that way Pandit Jawaharlal Nehru did not give satisfaction to the country nor did his action bring any honour to him or to the Parliament and that was the reason why when his successor Shri Lal Bahadur Shastri was Prime Minister and when a suggestion was made by Mr. Santhanam's Committee that the Prime Minister and the Chief Minister should be kept out of the purview of this particular legislation I told him that we were not prepared to accept it because we found that the Prime Minister was capable of shielding ministers of doubtful integrity.

Now we come to the third Prime Minister. The third Prime Minister also wants to be kept out of the purview of this Bill. Let us hope that the third Prime Minister would be able to have a much better record than the earlier Prime Ministers so far as colleagues are concerned. Let us also hope—and it would be hoping against hope—that the Prime Minister herself or himself, would not indulge in such bad practices, undemocratic practices as to be charged by the people as undemocratic and discriminatory and dishonest. It is only hoping against hope and that is why I am extremely unhappy that the congress party here could not see its way to accept the amendments moved from this side that the Prime Minister also should be brought within the purview of this particular legislation.

So far as this legislation goes are not quite sure that even these two institutions would be able to give greater satisfaction to the country than the vigilance commissions because it is a matter of time, how long they take to investigate into the complaints and give redress to the people concerned. The other is the question of the costs involved for the ordinary folk to have to invoke the aid of these institutions and place before them the whole of the case and all the evidence and all the rest of it, to prove the charges. Because, after

all, on these two anvils of time and of cost, the whole thing rests. If it costs too much or if the people cannot get justice quickly from these institutions, if these institutions were to indulge in too much of delay then, this entire system would fail to yield good results.

I hope, Sir, this Government would try to take the necessary precautions to ensure that not too much time would be aken and the procedure would not be cumbersome and costly to the public in placing their complaints before this institution.

I once again remind the House of its debt of gratitude to Mr. Munshi and Mr. Mathur and I support this Bill.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का मोटे तौर पर समर्थन करता हूं। इस विधेयक की आवश्यकता होगी, यह बात भी साफ है। आजादी के बाद हिन्दुस्तान में जैसी फिजा पैदा हुई है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। आज यदि सरकार को इस बात में खुशी है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक विधेयक लाई है तो दूसरी तरफ सरकार दोषी भी हो जाती है क्योंकि अब तक का जो सिलसिला देश में रहा इस हुकूमत की वजह से उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सरकार की नीतियों की वजह से हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार बढा है।

सभापति जी, इस विधेयक में मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा गया है, लेकिन प्रधान मंत्री की इन्होंने चर्चा नहीं की है। उनको नहीं लाना चाहते हैं। मतलब यह है कि आजादी के बाद बड़े से बड़े मिनिस्टर भी भ्रष्ट हो गये हैं यह सरकार कबूल करती है इस विधेयक के जरिये। तो सरकार कंडेम्ड और गिल्टी है, इस से यह साबित होता है। इसलिए आप ने ऐसा कदम बढ़ाया और आप समझते हैं कि यह कारगर कदम होगा। तो फिर प्रधान मंत्री को इस दायरे में क्यों नहीं लाये। चाहे मौजूदा प्रधान मंत्री हों, या आने वाले प्रधान मंत्री हों, उन सब को इस विधेयक में लाना चाहिये। यह सोचना कि प्रधान मंत्री दूध के धोये हैं यह धारणा बिल्कुल गलत है। और बराबरी की धारणा के भी खिलाफ है।

लेकिन सवाल आता है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा क्यों? आजादी के पहले भी वही लोग थे जो आज आजादी के बाद भ्रष्ट हो गये हैं, उन के खिलाफ शिकायतें हैं, चाहे प्रताप सिंह कैरों हों या श्री के० बी० सहाय हों, आजादी के पहले उतनी खराबियां उन में नहीं थीं। लेकिन क्या वजह है कि आजादी के बाद यह खराब हो गये हैं, और इन में खामियां क्यों आने लगीं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आजादी के बाद इस सरकार ने देश के सामने एक प्रेरणा रखने का काम छोड़ दिया है।

आजादी के पहले सब कुरबानी देने के लिये जाते थे, उन को राज सत्ता से कुछ लेना नहीं होता था। बल्कि बलिदान की भावना रहती थी। लेकिन आजादी के बाद इन के सामने कोई आदर्श नहीं रहे, मकसद नहीं रहा, और वह प्रेरणा खत्म हो गयी। सोचा कि गद्दी पर आ गये जितना पैसा कमाना चाहो कमा लो। जो सिलसिला इन्होंने आजादी के बाद चलाया वह सिलसिला पूंजीवादी सिलसिला रहा जिस में ये खामियां आती हैं। खराबियां बढ़ी हैं नागरिकों के बीच में ही नहीं बल्कि राज्यों के बीच में भी, और पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता ही है। इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हिन्दुस्तान ही नहीं, स्वीडन् नहीं, जहां ओम्बुड्समैन की शुरूआत हुई बल्कि अमरीका में भी आप को भ्रष्टाचार की बात मिलेंगी। लेकिन एक फर्क आता है और वह यह कि उन मुल्कों में जहां शिक्षा बढ़ी हुई है और नैतिकता का स्तर कुछ ऊंचा है वहां छोटे भ्रष्टाचार नहीं होते। यहां 5, 10 रु० घूस लेने की बात होती है,

[श्री शिवचन्द्र झा]

ये सब बातें उन देशों में नहीं पायेंगे छोटा भ्रष्टाचार वहां नहीं होता है। वहां भ्रष्टाचार होता है लाखों की जब बात आती है तब। तो पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से यह खराबियां हैं। जिस तरह से और मुल्कों में भ्रष्टाचार बढ़ा उसी तरह से यहां भी बढ़ा है। जिस में इजाफा किया है सरकार ने अपनी योजनाओं से।

सवाल आता है कि इस का हल क्या है? हल यह है कि गैर बराबरी को खत्म किया जाय। और जब तक गैर बराबरी के सिस्टम को खत्म नहीं करते तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। और बातों के अलावा एक बात निहायत जरूरी है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और वह यह है कि आमदनी की सीलिंग सरकार रखे।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया। लेकिन जब तक आमदनी पर हदबन्दी नहीं करते हैं एक और दस के अनुपात में और यह आर्थिक विषमता रहती है तो इस के ननीजे और भी खराब होते हैं और भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है।

इसलिये सरकार यदि ईमानदारी से चाहती है कि देश में भ्रष्टाचार का खात्मा हो, छोटे से कर्मचारी से लेकर मिनिस्टर तक कोई भ्रष्टाचारी न रहे, तो जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है दृढ़ता के साथ उस ओर कदम उठावे ताकि पूंजीवाद का खात्मा हो और समाजवादी व्यवस्था की शुरूआत हो। और जब तक ऐसी फिजा पदा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने की फिजा पैदा करने के लिये जो सरकार यह विधेयक लायी है उस दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): Eternal vigilance is the price of liberty and democracy and I take it that this Bill cautions and warns of corruption in high places. I must confess that standards in public life have gone down after Independence. Restraint should play a part in higher levels of society, especially the State Ministers and Central Ministers. The moment they attain a high position, instead of bringing about self restraint and discipline, they indulge in pomp and show. In order to save democracy and preserve the standards of public life this Bill has become necessary. It is welcome. But by itself, it will solve no problems. As a public servant of 38 years standing, I say that there are some standardas to be maintained; one's behaviour whether in power or out of power should be the same; simplicity should be the watch word. The differences in incomes, say of a person earning Rs. 30 lakhs a year and another earning Rs. 350 a year, create difficulties. The moment a person becomes a Minister, there are many temptations. If we lead a simple life, we can resist those temptations and not be corrupted. But when a person want more and more of comforts he yields to temptations and corruption. One of the causes of corruption is election. Our elections are becoming costlier every day and persons at high places are tempted to receive offers from business houses and others to meet the election expenses. It is good that there is a code of conduct for the Ministers. We have the case of Orissa where the Chief Minister had his business while in Government Mere admonitions of fine of Rs 4000 or 5000 will not do: there will have to be stern punishment. There should be a high standard among the public also. A corrupt man, more so in high places, should be put to public shame. I am of that opinion. Merely bringing litigation will not help or merely giving him some small punishment will not help. Corrupt people should be put to shame and should not be allowed to stand anywhere in public life. In the olden days, they were publicly flogged and they were made to sit on the back of donkeys.

16 hrs.

AN. HON. MEMBER: Black faces.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Yes; what I mean to say is, the punishment should be so severe that they may not re-enter public life. I therefore welcome this Bill, and I hope our standards will improve and no Minister in any State or at the Centre will dare indulge in any sort of corruption.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Sir, I should like to congratulate the Government on bringing this Bill, which should be of good service with regard to the eradication of corruption in society. Actually, after Independence, corruption appears to have become all-prevading. With regard to Ministers, Gandhian principles are completely forgotten. The amount of corruption that was prevalent previously in some places has now multiplied itself.

But the main thing that arises in this connection is, is this Bill complete, and would it be successful in eradicating corruption? In my opinion, it is not complete in the sense that it does not provide for defferent punishment. That is a very important point. If somebody is found guilty, all that is done in the case of a civil servant is that he is made to retire prematurely or something is done to hush up the whole matter. The consequence is that the man does not worry, especially when he has built up sufficient fortune by wrong methods. He feels that the ultimate punishment is not going to be severe and so, why bother about it?

We have seen recently the report of the CBI, and it is found that about 99 per cent of the cases deal with small petty clerks or some supervisory grade staff. But when it comes to the higher ranks of the service, the CBI probably takes a lenient view or it does not make sufficient efforts to bring them to book. Even if they are brought to book, they are transferred or a mild punishment is given. I think the Service Rules should also be amended, so that a civil servant may feel that if he goes corrupt, he is going to be punished and the punishment is going to be very stiff; and that would make him afraid of indulging in these acts.

Another important point which I would like to emphasise is with regard to public undertakings. That is a field where I have some experience. I am sorry to say that in that field also, corruption exists. It may not be in a big way, but it is there; there is no doubt about it. Part of the losses, if you analyse them, would be traceable to corruption. I may give an instance. In respect of a leading concern, the iron and steel goods are despatched by wagons. They reach their destination, and subsequently a note goes that the goods are defective; discounts and rebates for unjustified claims are given and considerable loss is insurred. This can be heard in the markets of big cities. (*Interruption*)

SHRI R. K. BIRLA: Why not you name the company?

SHRI S. S. KOTHARI: It is there; in the public sector. For instance, the Hindustan Steel. Let them look into it, if they have got the courage. In this case, discounts and rebates are claimed, and part of the claim is false or is exaggerated and a greater amount is paid than what is justified. That is one of the reasons why losses in such large concerns occur. Then, in respect of a concern in Bhopal, some bogus purchase bills have been entered in the books. It came to my notice that such things were indulged in. I hope that this will be looked into.

So, I would submit that with regard to public undertakings also, strict rules should be prescribed. Besides, efforts should be made to investigate

[Shri S. S. Kothari]

and locate where corruption is taking place. With regard to agreements entered into by public undertakings, so many cases have come to light. I have introduced a Bill to the effect that public undertakings agreements should be properly scrutinised. But this Government does not want to take any action whatsoever. Wrong agreements are entered into, and even where the persons who had entered into those agreements are caught, they are allowed to go scot-free, and to join the very concerns and the contracting parties in whose favour they acted in a corrupt manner.

Therefore, unless the Government is seriously inclined to end corruption and unless the highest ranks in the civil service feel that it is their duty to see that their subordinates and other officers in the public undertakings do not resort to corrupt methods, I think any amount of Bills, and any amount of rules which are framed are not going to eradicate corruption. The spirit must be there; the will must be there. Most of the civil servants, who are in the higher echelons, are good honest people. They have come after much filtering. They must make it a point not to condone corrupt officers in their department but in the interest of the country, they must take action and end corruption.

Even with regard to the armed forces, I am sorry to say that cases are brought to light where goods are supplied to armed forces which are defective. If even military goods are defective, we can imagine to what extent degradation has taken place and how much corruption is pervading in society. In the case of the armed forces, I would think that the forces should have the power to take the strongest possible action against any person who is found to be corrupt; because if corruption exists in the armed forces, I do not know where it would lead this country to.

I have already dealt with the magistracy. Then I would say that anonymous complaints should not be excluded. It is an important point. I would suggest that a Committee of Parliament should be attached to the Lokpal and that Committee should examine whether there is a *prima facie* case or not. I feel that is necessary because the Lokpal is likely to be flooded with complaints and it will not be able to act properly. On the other hand, if there is a committee which can sort out the complaints, review them and, where a *prima facie* case appears to exist forward them to the Lokpal. That would ensure that the Lokpal is not over-flooded with complaints.

Lastly, the success of this measure would depend largely upon the quality of the Lokpal or Lokayukta himself. They should be men of integrity, enjoying the highest possible standing in public life, with a reputation for absolute honesty. Only such people should be appointed to these posts and it should be seen that they are not influenced by any person whatsoever. Because if they are influenced, they will not be able to do justice to their job and the whole structure of the institution of Lokpal and Lokayukta, which we are trying to build, would be jeopardised.

SHRI P. VISWAMBHARAN (Trivandurm): Mr. Chairman, this is a very inadequate piece of legislation. It does not satisfy the requirements of the situation obtaining in this country today. As has been stated earlier, corruption is now all-pervading. Till a few years ago we used to hear stories of corruption only among Congressmen and Congress Ministers. Now that every party in India has come into power in one State or another, the disease of corruption has spread into all parties. I confess that I also belong to a party which has got some partnership in administration in the State of Kerala. It is a sorry state of affairs that corruption has become so common and there is

no party which is free from that. All the same, I hold the Congress entirely responsible for the present state of affairs, because if they had given a clean administration during the last twenty years this disease would not have spread to the other parties.

The main adequacy of this Bill is the exclusion of the Prime Minister and Members of Parliament from the purview of this Bill. In my State of Kerala, the Public Men Inquiries Bill is before the State Assembly. When the Select Committee reported on that Bill, it included the Chief Minister, members of the State Legislature and the members of the panchayat samity and similar bodies within the purview of that Bill. But, after the report of our Joint Committee has come up, an attempt is being made to exclude the Chief Minister and the members of the legislature on the plea that they are excluded in the Lokpal and Lokayukta Bill.

The Minister, while replying to my amendment for the inclusion of Members of Parliament, did not give any reason; he simply said that this was considered by the Joint Committee and this suggestion was rejected. The entire Bill was considered by the Joint Committee. So, it is not a proper ground to be advanced here. Anyway, this inadequacy is there and this has got to be removed and it should be made more perfect.

Still, as a step in the right direction, I welcome this Bill and I request the Government to give a trial to this Bill, as has been said by Shri Kothari, by a sense of integrity and *cent per cent* respect should be given to the recommendations of the Lokpal and the Lokayukta. Under the Bill the Lokpal or the Lokayuktas could only make recommendations and it is for the competent authority to act. The competent authority is the Prime Minister or other competent authorities appointed by the Government. If those authorities fail to act according to the recommendations of the Lokpal or the Lokayukta, he can only make a special report to the President. A special report to the President only means a report to the Government under the present system of our government. So, it is up to the Government to act on the recommendations or reports of the Lokpal and the Lokayuktas. I hope, the Government will give a fair trial to this and also come forward at the earliest available opportunity to include the Prime Minister and the Members of Parliament also within the purview of this enactment.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu): Sir, while I support this Bill, I would like to know from the Government whether this Bill will be applicable to the armed forces also. I have very high regard and respect for all the three armed forces—the Navy, the Air and the Army. They are the defenders of our country. We know it very well. They have done a wonderful piece of job during the Chinese aggression as well as during the Pakistani aggression. I would like to know from Government whether there is going to be a separate Lokayukta for the armed forces or whether this will be applicable to the armed forces also.

Secondly, people have spoken very greatly about corruption. I know fully well that there is corruption practically in every sector, whether it is the public sector or the private sector, whether it is a Government official or a private official. What is the reason for this corruption? Why should there be such a great corruption in our country? The reason is that we produce less; there is less production of every article which is consumed by human beings.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: And poor distribution too.

SHRI R. K. BIRLA: Just a minute.

So, the first job for we people here is that we must produce more and to the maximum. We must generate wealth in the country, whether it is in the private sector or in the

[Shri R. K. Birla]

public sector, whether it is by me or by my hon. friend who just now interrupted me. There must be more wealth in the country. The more the wealth in the country, I can tell you, there is going to be less and less corruption. That is all I have to say.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह जो बिल है इसमें यत्रतत्र खामियां रह गई हैं । लेकिन मोटे तौर पर यह बिल सही है और हम इसका समर्थन करते हैं ।

इसका समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । यह सही है कि जब तक हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़ कर समाजवादी रास्ते पर चलना हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अन्त नहीं कर सकेंगे । लेकिन जब तक वह स्थिति नहीं आती है तब तक यह बिल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करेगा । लेकिन यह तभी होगा जब इस बिल को किताब के पन्नों में ही बन्द करके नहीं रख दिया जाएगा । आप जानते हैं कि हमारे देश में मजदूरों के लिए, हरिजनों के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं लेकिन उन पर अमल न होने की वजह से उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है । उनको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है । इसको हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं । इस बिल के साथ भी ऐसा ही किया गया तो इस में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी इसका कोई लाभ नहीं होगा । उस अवस्था में हम इसका प्रयोग भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में, घूस लेने वालों को पकड़ने में, समाज विरोधी काम करने वालों को पकड़ने में नहीं कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि इसको ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाए, इसको काम में लाया जाए । तभी हम, जो हमारा सीमित उद्देश्य है, उसको हासिल कर सकेंगे ।

जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए इस बात की भी आवश्यकता है कि लोकपाल बहुत ही ईमानदार हो । इसको कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है । उसको ईमानदार ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको जनता से भी सम्पर्क रखना चाहिए और जनता की मुसीबतों को समझने वाला भी होना चाहिये, उसकी दिक्कतों को समझने वाला भी होना चाहिये । इसके साथ-साथ उसको जात बिरादरी, फिरकापरस्ती, सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए । अगर वह इन सब बुराइयों से ऊपर नहीं होगा तो उसका जो पवित्र कर्त्तव्य है, उसको वह निभा नहीं सकेगा । हम और आप जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत बड़े-बड़े सरकारी अफसरों ने साम्प्रदायिक भावना में बहकर साम्प्रदायिक दंगों में भाग लिया । इसका सबूत रांची का दंगा है या कोई और जगह का दंगा है । इस वास्ते लोकपाल को ईमानदार ही नहीं होना चाहिये, नौकरशाहियत से दूर ही नहीं होना चाहिये, बल्कि जातपात और फिरकापरस्ती की भावना से भी ऊंचा उठना चाहिये । वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो पक्के तौर पर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हो । वह भ्रष्टाचारी भी नहीं होना चाहिये । ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि आज जिन बड़े-बड़े नेताओं के हाथ में इस देश की बागडोर है कल को उनको अगर जनता अपने बीच में से निकाल दे यानी चुनाव में हरा दे तो शुक्ल जी उन लोगों में से किसी को लोकपाल नियुक्त कर दें । गप्पा साहब जैसे किसी व्यक्ति को लोकपाल बना दें और फिर वह वहां पर जा कर गोलगप्पे बांटने शुरू कर दे । उसको पार्टीबंदी से ऊपर उठकर काम करना चाहिये । लोकपाल किसी पार्टी विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये, किसी मंत्री विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये, किसी बड़े अफसर विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये ।

16.16 hrs.

[SHRI PRAKASH VIR SHASTRI *in the Chair*]

आज क्या होता है ? हमारे देश में एंटी कुरप्शन डिपार्टमेंट बने हुए हैं । लेकिन उनके द्वारा बड़े लोग नहीं पकड़े जाते हैं । जो छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं उन बेचारों को कहा जाता है कि तुमने पांच रुपये घूस ली है, दस रुपये घूस ली है और उनको पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है । मुझे अपने सूबे का अनुभव है । एक एस डी ओ के मामूली पेशकार ने पांच रुपये घूस ली और उसको दो साल की सजा करवा दी गई और उसकी नौकरी छीन ली गई । ऐसा न हो कि बड़ी मछलियां छूट जायें और छोटी मछलियों को पकड़ने लग जाएं । अगर लोकपाल ठीक नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, इन सब बातों से ऊपर नहीं होगा, जनता के सुखदुख को समझने वाला नहीं होगा तो वह इस तरह की गलतियां कर सकता है जो साधारण कर्मचारी हैं उनको तो पकड़ लिया जाएगा और जो बड़े लोग हैं वे बच जायेंगे । बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे लोग कचहरियों में पैसे मांगते हैं । ऐसे मामले भी कहीं-कहीं होते होंगे । लेकिन इसका इलाज यह है कि उनको आप जीवनयापन योग्य पैसा दें, मिनिमम वेज आवश्यकता के आधार पर दें । उनकी तरफ से यह मांग उठाई जा रही है । 27 लाख केन्द्रीय कर्मचारी इस मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं । 19 सितम्बर, 1968 को उन्होंने हड़ताल भी की थी । उनकी जो दिक्कतें हैं उनको आप दूर करें । उनकी दिक्कतों को आप दूर नहीं करेंगे लेकिन वे अगर कुछ गलती करेंगे तो आप उनको पकड़ लेंगे । बड़े-बड़े मगरमच्छ जो हैं, बड़ी-बड़ी मछलियां जो हैं वे तो बच जाएंगी जैसाकि हम अपने सूबे में देख रहे हैं लेकिन ये पकड़ लिये जायेंगे । ये वे मगरमच्छ हैं जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपया हड़प लिया है ।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस विधेयक को लागू करते समय इन तमाम बातों को ध्यान में रखे और पूंजीवादी समाज बनाने की अपनी वर्तमान नीति को तिलांजलि दे दे । यह अच्छा है कि उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । उसके बाद वह विदेशी व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण कर दे । आज बंगाल में चाय बागान में, जो कि अंग्रेज पूंजीपतियों के हाथ में हैं, दो लाख मजदूरों की हड़ताल चल रही है । सरकार उन टी प्लान्टेशन्ज को भी हाथ में ले ले । इसी प्रकार वह विदेशी तेल कम्पनियों और गल्ले के थोक व्यापार को भी अपने हाथ में ले ले । पब्लिक सेक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं, उनके अतिरिक्त प्राईवेट सेक्टर में टाटा बैठे हुए हैं, जिनका चाबुक राष्ट्रपति के चुनाव में चल रहा है । सरकार इन कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण करे ।

यदि सरकार सचमुच में ये कदम उठा कर समाजवाद की तरफ़ बढ़ेगी और भ्रष्टाचार का अन्त करेगी, तभी इस विधेयक के सीमित उद्देश्य की पूर्ति होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुर गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मैं यह बिल लाने के लिए सिदकदिली से श्री मुकुल को मुबारकबाद देता हूं । इतिहास में उनके नाम के साथ हमेशा इस बिल का जिक्र किया जायेगा, जिसके पास होते ही, मेरा यकीन है, पचास परसेंट करप्शन अपने आप खत्म हो जायेगी । आखिर हुकूमत का एक जलाल होता है, वर्ना बीस सिपाही कैसे लाखों आदमियों को सम्भाल सकते हैं । इस बिल को लाने के मानी ये हैं कि गवनमेंट करप्शन को खत्म करने पर तुल गई है ।

यह ठीक है कि इस बिल में त्रुटियां हैं मैं चाहता था कि यह कानून हम पर लागू हो और प्रधान मंत्री पर भी लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मैं बताना चाहता हूं कि किसी वक्त प्रधान मंत्री का ईमान परा-

[श्री अब्दुल गनी डार]

ख्याल यह था कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर ने एब्यूज़ आफ़ पावर नहीं किया और वह नेक हैं, जबकि हमारा विचार था कि उन्होंने एब्यूज़ आफ़ पावर किया । प्रधान मंत्री जी ने हमें बहुत कुछ कहा । लेकिन अदालत का फ़ैसला प्रधान मंत्री के ख्याल के खिलाफ़ था ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि कोई एलीगेशन्ज़ करे ही, तभी लोकपाल उन पर तवज्जह दें । कई बातें अखबारों में आ जाती हैं । मैंने 19 मार्च के स्टेट्समैन में एक निराली खबर देखी । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी को-आपरेटिव कनज्यूमर्ज़ सोसायटी के आडिट के लिए एक ऐसे शख्स को आडिटर मुकर्रर किया, जिसकी काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के यहां इज्जत है । उसने 1966-67 की रिपोर्ट अगस्त, 1968 में दे दी । मैं कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सी गलतियां हैं ।

रजिस्ट्रार साहब ने यह समझकर कि अगर गवर्नमेंट तक वह रिपोर्ट जायेगी, तो काफ़ी नुकसान होगा, उस रिपोर्ट को दबा दिया हालांकि उसके लिए आडिटर को 6500 रुपये की फ़ीस दी गई थी । उसके बाद रजिस्ट्रार साहब ने बिल्कुल अपने साले को—सारी खुदाई एक तरफ़, बीबी का भाई एक तरफ़—आडिटर मुकर्रर कर दिया । पहले आडिटर को 6500 रुपये फ़ीस दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट ग़ायब कर दी और उसके बाद दूसरे आडिटर को फ़िर फ़ीस देकर नई रिपोर्ट तैयार करवा ली ।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी ऐलीगेशन्ज़ लिख कर भेजे और यह भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह अपना नाम लिखे । अगर लोकपाल या सरकार के नोटिस में इस किस्म की कोई बात आ जाये, तो उसके बारे में जरूर तहकीकात की जानी चाहिए ।

मेरे दोस्त, झा साहब, ने बार-बार बड़े बड़े मगरमच्छों का जिक्र किया है । गवर्नमेंट को इस बात का पता लगाना चाहिए कि अगर किसी ने सनअत को तरक्की देने के लिए, मजदूरों को काम देने के लिए या फ़ौज या, पुलिस को वर्दी वग़ैरह देने के लिए नाइलोन और वूल टाप्स को इम्पोर्ट किया, तो क्या उस कच्चे माल का उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया । मेरे जैसा आदमी इस बारे में किताबें और सुबूत वग़ैरह कहां से लाये ? सरकार इलैक्ट्रिसिटी की किताबें मंगाये । वे सरकारी किताबें हैं और उनको बदला नहीं जा सकता है । अगर इलैक्ट्रिसिटी का कनज़म्प्शन हुआ है, तो यकीनन उस माल को उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए उसको इम्पोर्ट किया गया था । चाइना के साथ लड़ाई के वक्त डिफेंस के नाम पर पचास लाख रुपये के नाइलोन और वूल टाप्स मंगाये गये थे, लेकिन डिफेंस के लिए धेले का भी इस्तेमाल नहीं किया ।

खुदा शुक्ला जी को मेरी जिन्दगी दे । उनकी गवर्नमेंट कामयाब हो । अगर वह मुझे कहें, तो मैं एक खाका दे दूंगा कि किसने ब्लैक में कितना रुपया कमा लिया । उस रुपये में से कुछ तो उन लोगों की जेब में गया, कुछ अफ़सरों की जेब में गया और कुछ एक-आध मिनिस्टर या दस मिनिस्टरों, की जेब में गया ।

आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्ला जी के लिए चाहता हूं कि मेरी उम्र उन्हें लग जाये और वह नेक काम करते रहें ।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاؤں) -
سپیکر مہودیہ - میں یہ بل لانے کے لئے
صدق دلی سے شری شکل کو مبارکباد
دیتا ہوں - اتہاس میں ان کے نام کے
ساتھ ہمیشہ اس بل کا ذکر کیا جائیگا-
جس کے پاس ہوتے ہی - میرا یقین

ہے - پچاس پرسینٹ کرپشن اپنے آپ ختم ہو جائے گی - آخر حکومت کا ایک جلال ہوتا ہے - ورنہ بیس سپاہی کیسے لاکھوں آدمیوں کو سنبھال سکتے ہیں - اس بل کو لانے کے معنی یہ ہیں کہ گورنمنٹ کرپشن کو ختم کرنے پر تل گئی ہے -

یہ ٹھیک ہے کہ اس بل میں ترٹیاں ہیں - میں چاہتا تھا کہ یہ قانون پر لاگو ہو اور پردھان منتری ہم پر بھی لاگو ہو - لیکن ایسا نہیں کیا گیا - میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی وقت پردھان منتری کا ایماندارانہ خیال یہ تھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے ایبیوز آف پاور نہیں کیا اور وہ ٹھیک ہیں - جبکہ ہمارا وچار تھا کہ انہوں نے ایبیوز آف پاور کیا - پردھان منتری نے ہمیں بہت کچھ کہا - لیکن عدالت کا فیصلہ پردھان منتری کے خیال کے خلاف تھا -

میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی ایپلیکیشن کرے ہی - تبھی لوک پال ان پر توجہ دیں - کئی باتیں اخباروں میں آ جاتی ہیں - میں نے ۱۹ مارچ کے سٹیٹسمین میں ایک نرالی خبر دیکھی - دہلی ایڈمنسٹریشن نے اپنی کوآپریٹو کنزیومرز سوسائٹی کے آڈٹ کے لئے ایک ایسے شخص کو آڈیٹر مقرر کیا جس کی کافی عرصے سے گورنمنٹ کے یہاں عزت ہے - اس نے ۱۹۶۷-۶۹ کی رپورٹ اگست ۱۹۶۸ میں دے دی - میں کوئی سخت شبد استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں - لیکن اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ بہت سی غلطیاں ہیں -

رجسٹرار صاحب نے یہ سمجھ کر کہ اگر گورنمنٹ تک وہ رپورٹ جائیگی - تو کافی نقصان ہوگا - اس رپورٹ کو دبا دیا - حالانکہ اس کے لئے آڈیٹر کو ۱۵۰۰ روپے کی فیس دی گئی تھی - اس کے بعد رجسٹرار صاحب نے بالکل اپنے سالے کو - ساری خدائی ایک طرف - بیوی کا بھائی ایک طرف - آڈیٹر مقرر کر دیا - پہلے آڈیٹر کو ۱۵۰۰ روپے فیس دی - لیکن اس کی رپورٹ غائب کر دی اور اس کے بعد دوسرے آڈیٹر کو پھر فیس دے کر نئی رپورٹ تیار کروا لی -

اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی اپنی ایپلیکیشنس لکھ کر بھیجے اور یہ بھی ضروری نہیں ہونا چاہئے کہ وہ اپنا نام لکھے - اگر لوک پال یا سرکار کے نوٹس میں اس قسم کی کوئی بات آ جائے - تو اس کے بارے میں ضرور تحقیقات کی جانی چاہئے -

میرے دوست - جھا صاحب - نے بار بار بڑے بڑے مگرمچھوں کا ذکر کیا ہے - گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ لگانا چاہئے کہ اگر کسی نے صنعت کو ترقی دینے کے لئے - مزدوروں کو کام دینے کے لئے یا فوج یا پولیس کو وردی وغیرہ دینے کے لئے

نائلون اور وول شالوں کو امپورٹ کیا - تو کیا اس کچے مال کا اس مقصد کے لئے استعمال کیا گیا - میرے جیسا آدمی اس بارے میں کتابیں اور ثبوت وغیرہ کہاں سے لائے - سرکار الیکٹریسٹی کی کتابیں ملکایئے - وہ سرکاری کتابیں ہیں اور ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے - اگر الیکٹریسٹی کا کلزمپشن ہوا ہے تو یقیناً اس مال کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا گیا ہے - جسکے لئے اس کو امپورٹ کیا گیا تھا - چائنا کے ساتھ لڑائی کے وقت ڈیفینس کے نام پر پچاس لاکھ روپئے کے نائلون اور وول ٹاپس ملکائے گئے تھے - لیکن ڈیفینس کے لئے دھیلے کا بھی استعمال نہیں کیا گیا -

خدا شکلا جی کو میری زندگی دے - ان کی گورنمنٹ کامیاب ہو - اگر وہ مجھے کہیں تو میں ایک خاکہ دے دونگا کہ کس نے بلیک میں کتنا روپیہ کما لیا - اس روپیے میں سے کچھ تو ان لوگوں کی جیب میں گیا کچھ افسروں کی جیب میں گیا اور کچھ ایک آدھ منسٹر - یا دس منسٹروں - کی جیب میں گیا

آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکلا جی کے لے چاہتا ہوں کہ میری عمر انہیں لگ جائے اور وہ نیک کام کرتے رہیں -]

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों से अपनी सहमति प्रकट करते हुए मैं इस का स्वागत करता हूं । मेरे विचार में यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिये था, क्योंकि बिना योजना और प्लानिंग के भारतवर्ष में अगर कोई चीज बढ़ी है और पनपी है तो वह है भ्रष्टाचार, बेईमानी, शैतानी और घूंसखोरी । इस का एक कारण यह भी है कि चूंकि हमारे यहां प्राडक्शन की कमी है, इसलिए प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ने एक तरह से लाइसेंस और परमिट का राज्य कायम कर दिया , जिसकी वजह से हमारे यहां भ्रष्टाचार और घूंसखोरी बढ़ी । जहां हम इस बिल के द्वारा भ्रष्टाचारियों को सजा देने की बात सोच रहे हैं, वहां हमें भ्रष्टाचार के कारणों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि हम लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था को बन्द नहीं करते हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा और चाहे हम कितने ही लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करें, यह बीमारी दूर नहीं होगी । माननीय खाद्य मंत्री ने एक बार कहा था कि चूंकि खाद्य स्थिति सुधर रही है हम आगे चल कर फूड जोन्ज को हटा देंगे । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कम से कम एक विभाग में भ्रष्टाचार में तो कमी हो जायेगी ।

प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के सदस्यों को इस बिल की परिधि में नहीं रखा गया है । मेरी दृष्टि में यह एक ऐसा कदम है, जिसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा । आज तो यह अवस्था हो रही है कि बाड़ ही खेत को खा रही है । जो हमारे रक्षक हैं, वे ही भक्षक हो जाते हैं । मैं प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कहता हूं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की चर्चा करता हूं । आज की प्राइम मिनिस्टर अच्छी हैं । पहले के प्राइम मिनिस्टर भी बहुत अच्छे थे । लेकिन आगे चल कर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, जिन के आचरण के बारे में सन्देह हो ।

इसलिए प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के सदस्यों को इस बिल के कार्य-क्षेत्र से मुक्त रखना बहुत खतरनाक होगा । क्योंकि पार्लियामेंट के मेम्बर अगर मुक्त हो जाते हैं तो एम० एल० एज० भी स्टेट्स के ऐसे बिलों के दायरे से मुक्त कर दिए जाएंगे और चीफ मिनिस्टर्स भी छोड़ दिए जाएंगे । यह भी हमने देखा है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में, लाइसेंस और परमिट दिलाने में जितने एम० पी० और एम० एल० एज० दक्ष होते हैं और वे जितना आगे पीछे काम करते हैं उतना और कोई नहीं करता। इसलिए कम से कम इस बिल का उद्देश्य पूरा हो और इस बिल से देश को लाभ हो इस के लिए मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के मेम्बर और प्राइम मिनिस्टर को भी इस बिल की परिधि में शामिल किया जाए और जब यह होगा तो यह निश्चित है कि जो स्टेट्स में कानून बनेंगे उस में जो एम० एल० एज० हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं वे स्वयं ही उनके दायरे में आ जाएंगे । इस बिल के दायरे से प्राइम मिनिस्टर और मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट को अलग कर देने से मैं समझता हूं स्वभावतः स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर्स और एम० एल० एज० अलग रखे जाएंगे । इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों को इस बिल के दायरे से अलग रखना मैं समझता हूं बहुत बुरा होगा और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इन दोनों बातों पर वे फिर से विचार कर के इन्हें स्वीकार करेंगे । क्योंकि अन्त में जो राम राम करता है उसी की मुक्ति होती है । इसलिए यदि बिल के इस तृतीय वाचन में भी वह इस को मान लेते हैं तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया है । माननीय रंगा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस में प्रधान मंत्री जी को शामिल करना चाहिए था । प्रधान मंत्री जी को क्यों हम शामिल नहीं कर सके इस विधेयक के अन्तर्गत इस के बारे में काफी विस्तृत रूप से यहां पर बताया गया है और मैं समझता हूं कि उस के बारे में एक जनरल ऐग्रीमेंट भी है कि प्रधान मंत्री के पद को इसमें शामिल करने से बहुत सी ऐसी कठिनाइयां पैदा होंगी कि जिस से हमें इस बिल को लागू करने में बहुत कठिनाई होगी । मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि वर्तमान प्रधान मंत्री इस बिल में प्रधान मंत्री के पद को सम्मिलित नहीं करना चाहतीं । इस के विपरीत वर्तमान प्रधान मंत्री यह चाहती थीं कि किसी तरह से इस बिल में प्रधान मंत्री को सम्मिलित कर लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा । पर जब हम ने उन को बताया कि क्या कारण हैं, किन कारणों से हम शामिल नहीं कर रहे हैं तब उन्होंने कहा कि ठीक है, न शामिल किया जाये । यदि देखा जाय तो उन की रुचि तो इस बात में थी कि इस बिल में प्रधान मंत्री को भी सम्मिलित करना चाहिए । पर जैसे कि कारण पहले बताए गए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, उन कारणों से इस बिल में प्रधान मंत्री को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया और मैं समझता हूं कि उन को शामिल करने से हमारा जो बिल का उद्देश्य था उस में बहुत हानि होती ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : चीफ मिनिस्टरों का क्या होगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: वह तो राज्य सरकारें जब अपने अपने कानून बनाएंगी तो उस में वह प्रावधान करेंगी । केरल में उन्होंने कानून बनाया है तो उस में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सम्मिलित किया है । दूसरी जगह वह कानून बनाएंगे तो स्वयं निर्णय करेंगे कि उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ।

रंगा जी ने दूसरी बात यह कही कि हमें यह देखना चाहिए कि इस की कीमत कहीं इतनी ज्यादा न हो कि गरीब लोग इस प्रावधान का फायदा न उठा सकें और दूसरी बात

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

यह कि इसमें इतनी देर न हो इस काम में कि जिससे काम की उपयोगिता ही नष्ट हो जाय। हम लोग इस का ध्यान रखेंगे और इस बिल के अन्दर जो प्रावधान किया है उसमें भी यह बात है कि कम से कम खर्चा हो और जल्दी से जल्दी इन चीजों का निर्णय हो सके। जब तक जल्दी निर्णय नहीं होगा तब तक इस बिल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री शिव चन्द्र झा ने अपनी बहस शुरू करते हुए कहा कि इस बिल का मतलब यह होता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला हुआ है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि यह बिल इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देश में फैला हुआ है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को हटाना ही नहीं है। इस बिल का उद्देश्य यह भी है कि जो अनाप शनाप आरोप गैरजिम्मेदारी से लगाए जाते हैं उन का भी इलाज इस के द्वारा हो क्योंकि जब लोक पाल और लोकायुक्त के पास इस तरह की चीजें जाएंगी तो वह इस बात का फैसला कर सकेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं उन में कोई सत्यता है या नहीं, उन में कोई तथ्य है या नहीं। या बिलकुल ही निराधार और गलत आरोप लगाए गए हैं। आज इस तरह की कोई एजेंसी या मशीन हमारे पास नहीं है। आज यदि किसी मिनिस्टर या अधिकारी पर कोई आरोप लगाया जाता है तो सरकार को स्वयं निर्णय करना पड़ता है कि प्राइमा फेसी कोई केस उसमें है या नहीं, कोई इस तरह की गुंजाइश इस के अन्दर है या नहीं कि इस के लिए कोई नियमित रूप से जांच पड़ताल की जाय या नहीं। पर जब लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था हमारे सामने आ जायगी तब इस बात की सुविधा हो जायगी कि हर एक मसले को जो कि उन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है उस के अन्दर हम इस को भेज सकें और उनके द्वारा इस की जांच पड़ताल करवा लें कि जो भी संसद् सदस्यों द्वारा या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनमें कितना तथ्य है और उस से आगे हम लोग क्या कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि यह भ्रष्टाचार जितना बढ़ा हुआ है उस को यह बिल दिखाता है यह बात नहीं है। यह गैर जिम्मेदारी के जो आरोप लगाए जाते हैं सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के ऊपर और सरकारी अधिकारियों पर जो कि एक कठिन कार्य का निर्वाह करते हैं इस देश के अन्दर, उनके ऊपर से वह सन्देह दूर हो सके इस काम में भी यह विधेयक सहायक सिद्ध होगा।

कोठारी जी ने यह कहा कि इस के लिए कोई संसद की एक समिति बैठा लेनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि संसद को इस बात का अधिकार है कि कोई भी उस के पास रिपोर्ट आती है तो संसद स्वयं निर्णय कर के किसी भी समिति की स्थापना कर सकती है और वह समिति उस की जांच पड़ताल कर सकती है। उस के लिए इस कानून में प्रावधान करना मैं तो ठीक नहीं समझता और न मैं यह समझता हूं कि वह आवश्यक है।

जहां तक कि लोकपाल और लोकायुक्त के अधिकारियों का सवाल है कि किस व्यक्ति को बनाया जाय उस में मैं समझता हूं कि जो प्रावधान इस बिल में किया गया है उस से इस बात की सुविधा होगी और हमें उस में सहायता मिलेगी कि हमारे देश के अच्छे से अच्छे जो व्यक्ति हैं उन को इस तरह का ऊंचा पद दिया जाय। इस के लिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक तो सरकार की तरफ से दूसरा विरोधी दल की तरफ से और तीसरा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से कोई नाम आए तो उस को मंजूर कर के हम लोकपाल का पद दें और इसी तरह से लोकायुक्त का पद दें। इस से यह बात हम लोगों के मन में जम सकती है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से चुना जायगा वह ऐसा होगा जिस के आचरण के संबंध

में, जिस के चरित्र के संबंध में और जिस की सच्चाई के संबंध में जरा भी शक किसी को नहीं होगा और इस की सफलता भी इसी पर आधारित है। यदि लोकपाल के ऊपर सन्देह होने लगे कि किसी मंत्री या अधिकारी से वह प्रभावित हो सकता है या उन के दबाव में वह आ सकता है तब तो जो भी विश्वास थोड़ा बहुत सरकार के ऊपर है कि वह भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है वह भी हट जाएगा और इस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बात बहुत आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो वह ऐसा हो कि जिस के ऊपर सर्वसम्मति से सब लोग विश्वास कर सकें और कोई कंट्रोवर्सी उस के संबंध में न हो।

बाकी रामावतार जी ने और दूसरे सदस्यों ने बहुत लम्बी लम्बी आर्थिक व्यवस्था की बातें कहीं। मैं समझता हूं कि उन का संबंध हमारे यहां भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं उन से होता है लेकिन जहां तक हमारे इस विधेयक का संबंध है इस से उस को कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि उन बातों पर हमें सोच विचार करना होगा। मैं यह भी जानता हूं कि यह बिल स्वयं पास हो कर सम्पूर्ण रूप से जो भ्रष्टाचार के मसले हैं उन का समाधान नहीं दे सकता। उस के लिए हमें और भी दूसरे समाधान ढूंढने होंगे। मैं समझता हूं कि यह बिल उचित दिशा में एक कदम है और ऐसा नहीं है कि सम्पूर्ण समस्या इस कदम से हल हो जायगी। पर उचित दिशा में एक उचित कदम होने के नाते से हमें खुशी है कि सम्पूर्ण सदन ने इस विधेयक का स्वागत किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि यह विधेयक जो संशोधित रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इस पर सदन अपनी स्वीकृति दे।

The Motion was adopted.

16.38 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1969-70

सभापति महोदय : अब यह सदन 1969-70 के रेलवे बजट संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार करेगा।

DEMAND NO. 2—MISCELLANEOUS EXPENDITURE

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Miscellaneous Expenditure'."

DEMAND NO. 15—OPEN LINE WORKS—CAPITAL, DEPRECIATION RESERVE FUND AND DEVELOPMENT FUND

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Open Line Works—Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund'."

इस के लिए एक घंटा नियत हुआ है। जिन सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव दिए हैं और उस पर कुछ कहना चाहते हैं वह अपनी चिट भेज दें जिस से उन्हें कुछ कहने का अवसर दिया जाय। जो कटौती के प्रस्ताव

*Moved with the recommendation of the Chief Justice discharging the functions of the President.